ओ३म्

दयानन्दसन्देश

आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का मासिक पत्र

जनवरी २०१८

Date of Printing = 05-01-18
प्रकाशन दिनांक= 05-01-18

वर्ष ४७ : अङ्क ३
दयानन्दाब्द : १९३
विक्रम-संवत् : मार्गशीर्ष-पौष, २०७४
सृष्टि-संवत् : १,९६,०८,५३,११८

संस्थापक : **स्व० ला० दीपचन्द आर्य**
प्रकाशक व
सम्पादक : धर्मपाल आर्य
सह सम्पादक : ओम प्रकाश शास्त्री
व्यवस्थापक : विवेक गुप्ता

कार्यालय :

दयानन्दसन्देश (मासिक)

४२७, मन्दिर वाली गली, नया बांस,
खारी बावली, दिल्ली-६
दूरभाष : २३९८५५४५, ४३७८११६१
चलभाष : ९६५०५२२७७८
E-mail : aspt.india@gmail.com

एक प्रति ५.०० रु० वार्षिक शुल्क ५०) रुपये
आजीवन सदस्यता ५००) रुपये
विदेश में २०००) रुपये

इस अंक में

❑ अमर हुतात्मा - स्वामी श्रद्धानन्द २
❑ वेदोपदेश ३
❑ मनुस्मृति का परिचय ४
❑ तथाकथित आध्यात्मिक गुरु वीरेन्द्र देव... ८
❑ महर्षि दयानन्दाभिमत.... ११
❑ आर्यों का संघर्ष..... १३
❑ सत्यार्थ प्रकाश.... १६
❑ क्या टीपू सुल्तान..... १८
❑ भारतवर्ष की बदहाली...... २२
❑ जड़पूजा का रोग २६
❑ ओ३म् २७

विशेष : दयानन्द सन्देश में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। उनसे सम्पादक की पूर्णतया सहमति आवश्यक नहीं है। अतः किसी भी चर्चा/परिचर्चा एवं वाद-विवाद के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सत्यार्थप्रकाश

प्रचार संस्करण ३००० रुपये सैकड़ा
स्पेशल (सजिल्द) ५००० रुपये सैकड़ा में प्राप्त करें।

अमर हुतात्मा- स्वामी श्रद्धानन्द

(पं. नन्दलाल निर्भय, सिद्धान्ताचार्य पत्रकार, पलवल)

भारत के नर-नारी जागो! आगे कदम बढ़ाओ तुम।
स्वामी श्रद्धानन्द तपस्वती, नेता के गुण गाओ तुम।।
जगत गुरु ऋषि दयानन्द का प्यारा शिष्य निराला था।
सच्चा ईश्वर विश्वासी था, देश भक्त मतवाला था।।
ताई धर्मवती देवी ने, भारी लाड़ लड़ाया था।
नानक चन्द पिताजी ने, अधिवक्ता पुत्र बनाया था।
जीवन चरित्र पढ़ो स्वामी का, देश भक्त बन जाओ तुम।
स्वामी श्रद्धानन्द तपस्वती, नेता के गुण गाओ तुम।।
भारत था परतंत्र, यहाँ था, अंग्रेजों का राज सुनो।
करते थे नित जुल्म विधर्मी, तब दुखी समाज सुनो।।
गीत गड़रियों के वेदों को, ईसाई बतलाते थे।
भोले-भाले लोगों को, पन्जे में दुष्ट फंसाते थे।।
गऊ मांस खाते थे गोरे, समझो अरू समझाओ तुम।
स्वामी श्रद्धानन्द तपस्वती, नेता के गुण गाओ तुम।।
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने तब, कांगड़ी गुरुकुल खोला था।
पापी अंग्रेजों के सिर, मारा बम का गोला था।।
वैदिक शक्षा जारी की थी, काम बड़ा अनमोला था।
दुष्ट विधर्मी अंग्रेजों का, जिसे देख दिल डोला था।।
महावीर नेता को जानो, वीन बनो यश पाओ तुम।
स्वामी श्रद्धानन्द तपस्वती, नेता के गुण गाओ तुम।।
पुत्र पुत्रियों के हाते भी, धन, दौलत सब दान किया।
तुम्हीं बताओ! किस नेता ने, ऐसा कर्म महान किया।।
रौलट ऐक्ट आया भारत में, अपना सीना तान दिया।
संगीनों का किया सामना, स्वामी ने ऐलान किया।।
अंग्रेजों भागों भारत से हमें न अब बहकाओ तुम।
स्वामी श्रद्धानन्द तपस्वती, नेता के गुण गाओ तुम।।
जो भारतवासी, ईसाई, मुसलमान, बन जाते थे।
स्वामी श्रद्धानंद उन्हें, शुद्धि करके अपनाते थे।।

शेष पृष्ठ २७ पर

ओ३म्

वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानन्द

वेदोपदेश १. अग्नि (ईश्वर) - सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ, ज्ञानस्वरूप, सबसे महान, सुखवर्धक अग्निहोत्र आदि का उपदेश करने वालाा है।

२. अग्नि (भौतिक) अग्निहोत्र नामक यज्ञ को प्राप्त कराने वाला, प्रकाश गुण वाला, महान कार्यों का साधक, चलते समय मार्ग का दर्शक है।

परमेष्ठी प्रजापतिः ऋषिः। अग्निः = ईश्वरः भौतिकश्वा देवता।
निचृद् गायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः।।
अथाग्निशब्देनोभावार्थावुपदिश्येते।।

अब अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि अर्थों का उपदेश किया जाता है।।

ओ३म् वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्त॑ꣳसमिधीमहि।
अग्ने बृहन्तमध्वरे।। यजु० 2।4।।

पदार्थः **(वीतिहोत्रम्)** वीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञ येनेश्वरेण। यद्वा वीतयः प्राप्तिहेतवो होत्राख्या यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्तं परमेश्वरं भौतिकं वा। वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु। इत्यस्य रूपम् **(त्वा)** त्वां तं वा। अत्र पक्षे व्यत्ययः **(कवे)** सर्वज्ञ क्रान्तप्रज्ञ, कविं क्रान्तिदर्शनं भौतिकं वा **(द्युमन्तम्)** द्यौर्बहुप्रकाशो विद्यते यस्मिँस्तम्। अत्र भूम्न्यर्थे मतुप्। **(सम)** सम्यगर्थे **(इधीमहि)** प्रकाशयेमहि। अत्र बहुलं छन्दसीति श्नमो लुक् **(अग्ने)** ज्ञानस्वरूपेश्वर प्राप्तिहेतुं भौतिकं वा **(बृहन्तम्)** सर्वेभ्यो महान्तं सुखवर्धकमीश्वरं बृहतां कार्य्याणां साधकं भौतिकं वा **(अध्वरे)** मित्रभावेऽहिंसनीये यज्ञे वा।। अयं मन्त्रः श० ब्रा० १/३/४/६//

सपदार्थान्वयः हे कवे! सर्वज्ञ क्रान्तप्रज्ञ! अग्ने! (जगदीश्वर) ज्ञानस्वरूपेश्वर! (वयमध्वरे) मित्रभावे (बृहन्तं) सर्वेभ्यो महान्तं सुखवर्धकमीश्वरं (द्युमन्तं) द्यौर्बहुप्रकाशो विद्यते यस्मिँस्तं (वीतिहोत्रं) वीतयो विज्ञापिता होत्राऽऽख्या यज्ञा येनेश्वरेण तं परमेश्वरं (त्वा)= (त्वां समिधीमहि) सम्यक् प्रकाशयेमहि। इत्येकः।।

(वयमध्वरे) अहिंसनीये यज्ञो (वीतिहोत्रं) वीतयः प्राप्तिहेतवो होत्राख्या यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मान्तं भोतिकं (द्युमन्तं) द्यौर्बहुप्रकाशो विद्यते यस्मिँस्तं (बृहन्तं) बृहतां कार्य्याणां साधकं भौतिकं (कवे) (कविं) क्रान्तदर्शनं भौतिकं (त्वा) (तम्) (अग्ने) (भौतिकमग्निं) प्राप्तिहेतुं भौतिकं (समिधीमहि) सम्यक् प्रकाशयेमहि।। इति द्वितीयः।।

भाषार्थ : हे (कवे!) सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ! (अग्ने!) ज्ञानस्वरूप-परमेश्वर! हम (अध्वरे) मित्रता से रहने के लिए (बृहन्तम्) सबसे महान् तथा सुखों के बढ़ाने वाले (द्युमन्तम्) अत्यन्त प्रकाश वाले (वीतिहोत्रम्) अग्निहोत्र आदि यज्ञों के बतलाने वाले (त्वा) आप परमेश्वर को (समिधीमहि) हृदय में प्रदीप्त करें।। यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ है।

हम लोग (अध्वरे) हिंसा से रहित यज्ञ में (वीतिहोत्रम्) सुख प्राप्ति की हेतु अग्निहोत्र आदि यज्ञ क्रियाएँ जिससे सिद्ध होती हैं, उस भौतिक अग्नि को (द्युमन्तम्) बहुत कार्यो के साधक (कवे) क्रान्तदर्शी कवि रूप भौतिक (त्वा) उस (अग्ने) प्राप्ति के हेतु अग्नि को (समिधीमहि) अच्छे प्रकार प्रकाशित करें।। यह इस मन्त्र का द्वितीय अर्थ हुआ।

(हे.... अग्ने = जगदीश्वर! वयं (त्वा)= त्वां समिधीमहि)

भावार्थः अत्र श्लेषालङ्कारः। यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि सन्ति, तानि सर्वाणीश्वरेणैव रचयित्वा ध्रियन्ते। मनुष्यैस्तेषां सकाशाद् गुणज्ञान क्रियाभ्यां बहव उपकाराः संग्राह्याः।।

भावार्थ : इस मन्त्र में श्लेष अलङ्कार है। जितने भी क्रिया के साधन तथा क्रिया से साध्य पदार्थ हैं, उन सबको ईश्वर ने ही रच कर धारण किया है। मनुष्य उनसे गुणगान और क्रिया के द्वारा बहुत से उपकारों को ग्रहण करें।

मनुस्मृति का परिचय

(उत्तरा नेरूर्कर, बंगलौर, मो.- 09845058310)

मनुस्मृति के अनेकों अंश स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने कालजयी ग्रन्थ 'सत्यार्थ-प्रकाश' में उद्धृत किए हैं। प्रो. सुरेन्द्र कुमार के साथ-साथ अन्य विशेषज्ञों ने भी इसके विषय में पर्याय लिखा है। इसलिए सम्भवतः अनेक आर्यसमाजी इसके विषय में जानते हों तथापि यह परिचयात्मक लेख मेरी दृष्टि से मनुस्मृति को प्रस्तुत करता है।

इतिहास

जहां वेद संसार का सर्वप्रथम साहित्य माना जाता है, वहीं मनुस्मृति इस सर्ग का सर्वप्रथम धर्मशास्त्र कहा गया है। यह मानवीय धर्म को कहता है, अर्थात् मनुष्य के जीवन-निर्वाह की श्रेष्ठतम रीति क्या है, उसका निरूपण करता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में सदा ही मानवीय धर्म को कहा गया है- हिन्दू या किसी सम्प्रदाय-विशेष के लिए धर्म नहीं बताया जाता था (हिन्दू शब्द तो फारसियों/अफगानों आदि ने इस देश के निवासियों को कालान्तर में दिया क्योंकि वे सिन्धु नदी के पार रहते थे, सो 'सिन्धु' का अपभ्रंश करके 'हिन्दू' कहने लगे)। यह धर्म सार्वभौम, सार्वकालिक और सार्वजनिक है- यह देश, काल या व्यक्ति-विशेष से बाधित नहीं है। यह धर्म वेद के आदेशानुसार है- मनु ने जैसे वेदों को निचोड़ कर, उनका सार प्रस्तुत किया है। साथ-ही-साथ उन्होंने उस ज्ञान को क्रियात्मक रूप से भी लिखा, जिससे कि सभी जन उसे पढ़ कर अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। इसलिए मनुस्मृति को संसार का प्रथम संविधान भी कहा जा सकता है।

आज जिन्हें हम 'हिन्दू' कहते हैं, उनका आचरण मनुस्मृति से इतना प्रभावित है कि, भारतीय संविधान ही नहीं, अपितु अनेक दक्षिण-पूर्वी देशों, जैसे फिलिपीन्स्, बालि, थाइलैण्ड, वियत्नाम आदि का संविधान भी इस पर बहुत अंश में आधारित है। यहां तक कि फिलिपीन्स् में मनु की प्रतिमा संसद के बाहर स्थापित है। इस सब से ज्ञात होता है कि भारतीय और उससे सम्बद्ध सभी सभ्यताओं पर मनु का कितना प्रभाव रहा है।

मनुस्मृति इतनी प्राचीन है कि उसका उल्लेख ब्राह्मणों, उपनिषदों, और रामायण में भी पाया जाता है। महाभारत में उसको अनेक बार जीवन जीने के लिए विश्वसनीय मार्गदर्शक बताया गया है। मनु की प्रशंसा पुराण आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलती है। स्मृति-ग्रन्थों को वेदमार्गप्रदर्शक कहा गय है। उन स्मृतियों में मनुस्मृति पहली है। याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में मनुस्मृति कुछ श्लोक जैसे-के-तैसे उद्धृत पाये जाते हैं। मध्यकालीन युग की चाणक्य-नीति भी इस पर आधरित है। इतनी प्राचीन होने के कारण, इसके काल को बताना आज सम्भव नहीं है।

मनु मनुष्यों के प्रथम राजा थे और एक ऋषि भी, अर्थात् वे एक राजर्षि थे। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऋषि मनु के पास गए और उनसे धर्म की व्याख्या करने को बोले। इससे स्पष्ट होता है कि मनु ऋषियों के भी ऋषि थे! इस उल्लेख से, और अन्य श्लोकों से भी, प्रतीत होता है कि मनुस्मृति को उनके पुत्र और शिष्य भृगु ने लिखा है- जो उपदेश मनु ने उन ऋषियों को दिया, उसको भृगु ने 'रिकॉर्ड' कर लिया।

सम्भवतः, चाणक्य के बाद इस ग्रन्थ का भारत में प्रचलन कम हो गया। बौद्ध और जैन धर्मों के उत्थान-काल में, हिन्दू धर्म में अनेक कुरीतियां व्याप्त हो गई थीं। इनका अंश मनुस्मृति में भी आज पाया जाता है- वर्णों का जन्म-सिद्ध जातियों में रूपान्तर, शूद्रों और स्त्रियों के लिए वेद का पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञों में मांस का उपयोग, आदि, आदि। क्योंकि इन्हीं परम्पराओं के विरुद्ध श्लोक भी मनुस्मृति में ही पाए जाते हैं, इससे प्रतीत होता है कि, कालान्तर में, कुछ ब्राह्मणें ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति में ये प्रक्षेप किए। कब ये प्रक्षेप हुए, इसका कहना भी कठिन है, परन्तु

बौद्ध और जैन धर्म जैसे इन्हीं सब परम्पराओं के विरोध में खड़े हुए, इसलिए अवश्य ही उस काल तक इन कुरीतियों ने समाज पर अपनी पकड़ बना ली थी। सम्भवतः बौद्धों और जैनों के इस विरोध के कारण मनुस्मृति का प्रभाव इस काल से क्षीण होने लगा।

अंग्रेजों के विलियम जोन्स ने, हिन्दू परम्पराओं को समझने के लिए, १७६४ में इसका अनुवाद किया और इसके अनुसार हिन्दूओं के लिए कानून रचा। सम्भवतः, यह मनुस्मृति के पुनरुद्धार का प्रथम सोपान था। स्वामी दयानन्द ने जब 'वेद की ओर लौटो' का नारा लगाया, तब प्रधनतया मनुस्मृति से ही वैदिक धर्म का निर्धारण किया। तथापि उन्होंने स्पष्ट दिखाया कि मनुस्मृति के उपर्युक्त अंश प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि ये उसी ग्रन्थ के अन्य कथनों के विरुद्ध हैं और वेद के भी विरुद्ध हैं। उन्होंने ऐसे अंशों को त्यागने का आदेश दिया। तथापि आप भारत में कुछ राजनीति दलों ने उन्हीं अंशों का ढिंढोरा पीट कर मनुस्मृति को पुनः हेयग्रन्थों में स्थापित कर दिया है। यहाँ डॉ. सुरेन्द्र कुमार का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा जिन्होंने ग्रन्थ को परिष्कृत करके, उसमें से प्रक्षिप्त श्लोकों को निकाल कर, 'विशुद्ध मनुस्मृति' नामक ग्रन्थ का सृजन किया है।

उपदेश

मनु ने जीवन के प्रत्येक भाग के लिए धर्म का सुन्दरता से निर्धारण यिा है। जहां एक ओर यह धर्म समाज के स्तर पर है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति के स्तर पर है। इससे हम यह पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनु ने गांव के अव्यवस्थित शासन से एक राष्ट्र के व्यवस्थति शासन की नींव डाली। इतिहास में राष्ट्रीय व्यवस्था की इतनी विकसित परिकल्पना होना, जैसे प्रजा के द्वारा राजा का चयन गुणों के अनुसार करना- यह इतनी बड़ी बात है कि इसको समझने के लिए हमें संसार के अन्य भागों की ओर देखना पड़ेगा, जो कि पिछले कुछ ३००० वर्षों से ही कुछ-कुछ भागों में, राष्ट्र की परिकल्पना कर सके थे। इस परिक्षेप में, मिस्र की सभ्यता में राष्ट्र के संचालन की सोच कम ही थी। राजा एक ही परिवार से होते थे और प्रजा से अपनी मनमानी करते थे। वहां बने बड़े-बड़े पिरामिड आदि राजा की कब्रें थी, जिनको बनवाने में वह अपने कार्यकाल के पहले दिन से लग जाता था। यूनान में सबसे पहले राज्य-व्यवस्था का कुछ रूप निखरता दिखाई पड़ता है। फिर रोम् सभ्यता ने इसको कुछ और आगे बढ़ाया। चीन में भी इसी काल में इस प्रकार की समझ उभरती दिखाई पड़ती है। भारत में तो राम के काल से ही नहीं, अपितु मनु के काल से ही, राष्ट्र के विभिन्न अंग, उनका आपस में सामञ्जस्य, कर-व्यवस्था, आदि, आदि- इन सब की सुव्यवस्था अक्षुणा चली आ रही थी।

मनुस्मृति में बारह अध्याय हैं, जिसमें २६३५ श्लोक हैं। इनमें दिए विषयों में से मुख्य इस प्रकार हैं-

सृष्टि की उत्पत्ति, वर्ण-व्यवस्था, धर्म का स्वरूप, षोडश संस्कार, चतुराश्रम, विवहों के प्रकार, पञ्च महायज्ञ

- भक्ष्याभक्ष्य और देह व पात्र, वस्त्र आदियों की शुद्धि
- राजा के आवश्यक गुण और कर्तव्य- अत्यधिक विस्तार से क्योंकि राजा ही राष्ट्र की नींव होता है
- शासन के लिए राजा द्वारा विभिन्न सभाओं का गठन
- धरोहर, आयकर, आदि अनेक व्यवस्थाओं का वर्णन (जिनको चाणक्य ने भी प्रायः वैसा ही बताया)
- विभिन्न प्रकार के विवाद, उनका निर्णय और दण्ड-व्यवस्था
- प्रायश्चित
- कर्म के अनुसार फल-व्यवस्था
- मोक्ष-प्राप्ति

इतने विवरण से ही हम देख सकते हैं कि मनु ने राज-व्यवस्था पर कितना बल दिया है और उसको कितने विस्तार से बताया है। इसकी तुलना आज के संविधानों से भली प्रकार की जा सकती है।

अब हम कुछ विषयों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहले हम वैयक्तिक धर्म को देखते है।।

आश्रम व्यवस्था

वेदों ने मनुष्य की औसतन आयु १०० वर्ष बताई है। इसको चार समतुल्य भागों में बांटा गया है, जिनको आश्रम कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक में ही मनुष्य कोई

न कोई परिश्रम करता है। यह आश्रम इस प्रकार हैं-

१) **ब्रह्मचर्याश्रम-** जीवन के प्रथम २५ वर्ष लड़के और लड़की को ज्ञानार्जन में लगाने चाहिए। ८ वर्ष की आयु में उन्हें गुरुकुल भेजने की आज्ञा दी जाती है। जो किसी कारण न जा पाएं, वे कुछ कालान्तर मे ंभी जा सकते हैं। और जो पढ़ाई करने में असमर्थ हों, वे शूद्र माने जायेंगे (इस विषय पर आगे भी)

२) **गृहस्थाश्रम-** जिना सम्भव हो विद्या प्राप्त करके (प्रायः २५वें वर्ष में), स्नातक होकर, विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यह आश्ररम सारे समाज की नींव है क्योंकि में धनोत्पत्ति होती है। धन-धान्य, वस्त्र, आदि, के लिए शेष तीन आश्रम गृहस्थी पर पूर्णतया निर्भर होते हैं। इसी आश्रम में प्रजातन्तु का भी विस्तार होता है। जहां गृहस्थी के सबसे अधिक दायित्व होते हैं, वही सारे भौतिक सुखों का भोग विशेष रूप से इसी आश्ररम में करता है। इसीलिए कुछ जन इस आश्रम को मरण-पर्यन्त पार नहीं कर पाते।

३. **वानप्रस्थाश्रम-** इसमें पापों से बचकर, पुण्य कमाने की चेष्टा की जाती है। प्रायः ५० वर्ष की आयु में गृहस्थी को अकेले, या धर्मसंगी के साथ, एकान्त की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जैसे वन में बने आश्रमों को। ग्राम से कम-से-कम भोजन, वस्त्र, आदि, ग्रहण करते हुए, अपने पात्र आदि न्यूनातिन्यून रखते हुए, प्रकृति के आश्रय में रहते हुए, विधि के अनुसार सारे यज्ञों को सम्पन्न करना चाहिए। यही पुण्य कमाने का मुख्य साधन है। साथ-ही-साथ, मोक्षपरक स्वाध्याय और चिन्तन-मनन करना चाहिए। यह सब अगली व्यवस्था के लिए आत्मा को सिद्ध करता है।

४) **संन्यासाश्रम-** परमात्मा का चिन्तन करते-करते, जब आत्मा शुद्ध और पूर्णतया विरक्त हो जाए, तो प्रायः २५ वर्षोपरान्त, मानव को संन्यास लेकर सब भौतिक संगों और कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए। उसको किसी एक स्थान पर न रहते हुए (जिससे स्थान से भी संग न रहे), ग्राम-ग्राम विचर कर, उपदेश देते हुए, भोजन-वस्त्र, आदि, ग्रहण करते हुए, ग्रामों के बाहर निवास करते हुए दिन का मुख्य भाग परमात्मा के ध्यान-समाधि में निकालना चाहिए। ऐसा करते-करते वह मोक्ष का भागी बन जाता है, और जीवन्मुक्त होकर विचरने लगता है।

चार पुरुषार्थ

प्रत्येक मनुष्य के जीवन के चार लक्ष्य बताए गए हैं-

१) **धर्म-** वेद की आज्ञानुसार अपने कर्त्तव्यों को समझना और करना व प्यायपूर्वक सभी से वर्तना

२) **अर्थ-** सब प्रकार के धन को धर्मपूर्वक कमाना

३) **काम-** अपनी सारी इच्छाओं को, अर्जित अर्थ से, धार्मिक प्रकार से पूर्ण करना

४) **मोक्ष-** प्रपञ्च के बन्धन से छूटकर, अपने स्वरूप को पाना और परमात्मा में विचरण करना

यहां हम देख सकते हैं कि धर्म, अर्थ और काम तो संसार से सम्बद्ध हैं और मोक्ष परलोक से सम्बन्ध रख्ता है।

अब यदि हम आश्रमों और पुरुषार्थो को मिलाएं, तो एक और रोचक तथ्य सामने आता है- ब्रह्मचर्य में आत्मा धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। गृहस्थाश्रम में वह धर्म से अर्थ कमा कर अपनी कामनाएं पूर्ण करता है। वानप्रस्थाश्रम में वह अर्थ और काम को पुनः तिलाञ्जलि देते हुए, धर्म की ओर लौटता है और पापों को नष्ट करते हुए मोक्ष की तैयारी करता है। संन्यासाश्रम में धर्म भी छूट जाता है और आत्मा अपने स्वरूप को पाने में लग जाता है।

पञ्च महायज्ञ

गृहस्थियों के लिए प्रतिदिन करने योग्य, मनु ने पाँच महाव्रत बताए हैं। 'व्रत' इसलिए कि इनको करने में हमें सीधे-सीधे कोई विशेष सुख नहीं मिलता, परन्तु दूसरों का उपकरने करने से, अपने ऋण उतारे से, ये हमारे कर्तव्य होते हैं। ये इस प्रकार हैं-

१) **ब्रह्मयज्ञ-** अध्ययन व अध्यापन। गृहस्थी को और कुछ नहीं तो मोक्षपरक ग्रन्थों का स्वाध्याय और परमात्मा का चिन्तन प्रतिदिन कुछ समय के लिए अवश्य करना चाहिए। यथासम्भव, पढ़े हुए को पढ़ाना भी चाहिए।

२) **देवयज्ञ-** नियत रूप से प्रातः-सायं अग्निहोत्र करके वायु आदि का प्रदूषण नष्ट करना चाहिए।

३) **पितृयज्ञ-** अपने जीवित वृद्धों की सेवा-शुश्रूषा

द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए।

४) **बलि वैश्वदेव यज्ञ-** घर में बने भोजन में से कुछ भाग हमसे तुच्छ प्राणियों को देना चाहिए। रोगी, दीन मनुष्यों कोभी भोजन-छादन यथासम्भव देना चाहिए।

५) **अतिथियज्ञ-** घर में आए अतिथि, विशेष रूप से संन्यासी को भोजन-छादन आदि देकर तृप्त करना।

वर्ण-व्यवस्था

सामाजिक स्तर पर, मनु ने वेदानुसार मनुष्यों के चार विभाजन वर्णित किए हैं। ये वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इन्हें वरा जाता है, चुना जाता है- अपनी शिक्षा या स्वभाव के अनुसार। वर्ण का ग्रहण कर्म के अनुसार होता है, और प्रत्येक वर्ण के अपने-अपने कर्तव्य होते हैं। आज इन्हें जाति कहा जाता है, परन्तु जाति जन्म से होती है, जैसे गौ जाति। मनु ने जन्म से सबको शूद्र बताकर, गृहस्थाश्रम में ही, जीविकानुसार वर्ण को ग्रहण बताया है। ये वर्ण किसी भी सभ्य समाज में पाए जाते हैं। समाजशास्त्रियों का तो यहां तक मानना है कि भारतीय समाज जो सहस्रों वर्षों तक इस व्यवस्था में बिना विद्रोह के बन्ध रहा, इसका कारण है कि समाज में जो अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति हें, उनके लिए भी जीविका कमाने और सम्मान से रहने का एक मार्ग उपलब्ध था- शूद्र के रूप में। जब कपटी ब्राह्मणों ने, अपने वर्चस्व को किसी भी अवस्था में बनाए रखने के लिए, वर्णव्यवस्था को जन्म के आधार पर बना दिया, और शूद्रों व स्त्रियों का शोषण करने लगे, तब ही समाज में विद्रोह हुआ और बौद्ध व जैन ार्म का आविर्भाव हुआ। यहां तक कि आज भी अनेक हिन्दुओं का ईसाई और ईस्लाम मत को धर्मपरिवर्तन जातिप्रथा के दुष्प्रभाव से छूटने के लिए होते हैं।

मनु के द्वारा बताए गए वर्ण संक्षेप से इस प्रकार हैं-

१) **ब्राह्मण-** विद्या के संरक्षण में किसी भी प्रकार से रत- विद्यालयों में पढ़ा के, शोधकार्य करके, राजा के मन्त्री बनकर (जैसे- आज भी हम देखते हैं कि अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्री के आर्थिक व्यवस्था के सलाहकार होते हैं) आदि।

२) **क्षत्रिय-** राज्य के संचालन और सुरक्षा में रत- राजनेता, सरकारी पदाधिकारी, पुलिस, सेना के सभी अंग, आदि

३) **वैश्य-** किसी भी आर्थिक कारोबार में रत- किसान, शिल्पी, दुकान, व्यवसायी आदि

४) **शूद्र-** सेवा कार्य, अर्थत् आजकल की भाषा में- सर्विस इण्डस्ट्री- में कार्यरत। जैसे- धोबी, यानचालक, सफाई-कर्मचारी, पाचक आदि।

अब यदि शूद्र अछूत होकर, ब्राह्मण ही पाचन-कार्य करने लगे, तो हो गया न मनु की व्यवस्था की अनर्थ? यही स्थिति इस समय देश की है, जिसे कि मेरे जैसे बुद्धिजीवियों अर्थात् ब्राह्मणियों को प्रचार-प्रसार या विरोध द्वारा ठीक करती है...

स्त्रियों की समाज व गृह में भूमिका

मनु ने स्त्रियों के भी सुशिक्षित होने पर बल दिया है, जिससे कि आपत्काल में, या नित्य ही, वे भी जीविका में कार्यरत हों। उन्होंने स्त्रियों का सदा आदर करने को कहा है। गृह-वधू के रूप में वही घर की रानी होती है और घर के सभी सदस्यों को उसके कहे अनुसार वर्तना चाहिए। मनु ने घर बनाने से लेकर उसे साफ रखने तक, हर प्रकार से सुचारु रूप से चलाने का भार स्त्री पर डाला है। विशेष रूप से परिवार के धार्मिक आयोजनों का दायित्व स्त्री पर है। अब जब स्त्री वेद, गणित, शिल्प आदि नहीं पढ़ेंगी, तो वे यह सब कार्य कैसे करेंगी?

ऊपर मैंने केवल मनुस्मृति के कुछ मुख्य अंश ही दिए हैं। इतने विस्तृत ग्रन्था का एक छोटा-सा लेख क्या परिचय दे सकता है। तथापि मेरी आशा है कि पाठकों को इसके द्वारा मनुस्मृति के आकार-प्रकार और कुछ उपदेशों का परिचय मिल गया होगा, और इस ग्रन्थ के प्रति उनकी कुछ शंकाएं दूर हुई होंगी। मुझे यह भी आशा है कि इस लेख को पढ़ने के बाद, वे सम्पूर्ण ग्रन्थ को पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे।

❑❑

तथाकथित आध्यात्मिक गुरु वीरेन्द्र देव दीक्षित
(धर्मपाल आर्य)

अबकी बार मेरी इच्छा थी कि देश की आजादी के महान पुरोधा और भारत माँ के सिंह सपूत, बंगाली बहादुर महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज के अनन्य भक्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जीवन पर लिखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि और कृतज्ञता प्रकट करूँ। २३ जनवरी सन् १८६७ में कटक नामक स्थान श्री जानकी नाथ जी के यहाँ जन्मे इस सपूत ने देश की आजादी में जो अविस्मरणीय योगदान दिया उससे आने वाली पीढ़ी को युगों-युगों तक देश पर मर मिटने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अपने संघर्ष से और राजनीतिक कौशल से अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने वाले इस महान् क्रान्तिकारी के विषय में मैं विस्तार से लिखना चाहता था। इस प्रकार प्रकार का मैं मानस बना ही रहा था कि दिसम्बर २०१७ माह में एक ऐसा मामला दूरदर्शन व समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना, जिससे धर्म और आध्यात्मिकता पर लोग शंका और आशंका प्रकट करने लगे और मुझे नेताजी के व्यक्तित्व पर लिखने की इच्छा त्याग कर उपरोक्त प्रसंग पर लिखने को विवश होना पड़ा। राष्ट्र को पराधीनता की जंजीर से मुक्त कराने के लिए जिस प्रकार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जैसे असंख्यों बलिदाानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ठीक उसी प्रकार महर्षि दयानन्द ने धर्म को पाखण्डों और आडम्बरों के मकड़जाल से मुक्त कराने के लिए और पूरी दुनियाँ को मानवता के पथ पर चलाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। धर्म की आड़ में अधर्म के कालुष्य को मिटाने के लिए ऋषि दयानन्द जी ने वेद सम्मत व शास्त्र सम्मत धर्म की परिभाषा समाज के सामने रखी। ईश्वर का सही स्वरूप ऋषिवर ने समाज के सामने रखा। कछ दिनों से धर्म की आड़ लेकर अधर्म के व्यभिचार के जिस प्रकार के प्रसंग सामने आ रहे हैं और तथाकथित धर्माचार्यो और धर्मोप्रदेशकों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं उससे एक यक्ष प्रश्न उभर कर आया है कि इन धर्माचार्यो और धर्मोप्रदेशकों के जीवन में सत्य, धर्म, संयम, त्याग, तप और आत्मचिन्तन इन (धर्माचार्यो) के जवीन का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता जबकि बड़े-२ मंचों से हजारों भक्तों के लिए इनका उपदेश इन्हीं विषयों पर होता है। इसका कारण यह है कि उपरोक्त विषय इनके लिए उपदेश का माध्यम हैं, में निजी जीवन में उपरोक्त गुणों के लेशमात्र भी नजदीक नहीं है। रामपाल दास, आसाराम, नारायण सांई, रामरहीम और भीमानन्द इच्छाधारी जैसे तथाकथित सन्तों के काले कारनामों का प्रभाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और तथाकथित आध्यात्मिक गुरु का काला कारनामा प्रकाश में आया है। इस तथाकथित आध्यात्मिक गुरु का नाम है वीरेन्द्र देव दीक्षित। देशभर में इसके दो सौ से अधिक आध्यात्मिक केन्द्र हैं जिनमें वीरेन्द्र देव दीक्षित अपनी ही कपोल कल्पित आध्यात्मिकता का अपने अनुयायियों को उपदेश करता है जब इसकी कपोल-कल्पित आध्यात्मिकता का भाण्डा फूटा तो बहुत सारे कारनामें निकल कर सामने आए जिन्हें सुनकर व पढ़कर मानवता भी शर्मसार हुई और आध्यात्मिकता कलंकित।

अब तक यह माना जाता था कि राजनेताओं के गन्दे आचरण से इस देश की राजनीति कलंकित हो रही है पर मुझे यह लिखने में कतई संकोच नहीं कि इससे अधिक तो तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं के कदाचार और दुराचार से आध्यात्मिकता अधिक कलंकित व कलुषित हो रही है। जैसे किसी अपराधी की तलाश होती है ठीक उसी तरह इस तथाकथित गुरु की भी बड़ी तेजी से तलाश की जा रही है, जिस प्रकार अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी कर उनके यहां से अवांछित दस्तावेजों व अवांछित वस्तुओं को जब्त किया जाता है ठीक उसी प्रकार वीरेन्द्र देव के ठिकानों पर छापे मारी की जा रही है और छापेमारी के दौरान वहां से बालिग, नाबालिग युवतियों को, अवांछित व अश्लील साहित्य को जब्त किया जा रहा है। दिल्ली स्थित रोहिणी क्षेत्र

के समीप विजय विहार में आज से दस वर्ष पूर्व जहां केवल कुछ झुग्गी झोंपड़ियाँ होती थीं और देखते-देखते इन्हीं दस वर्षों में उस स्थान पर लगभग १२०० सौ गज में उन (झुग्गी-झोंपड़ियो) के स्थान पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अर्थात् आध्यात्मिक केन्द्र अस्तित्व में आ गया तथा उन झुग्गी-झोंपड़ियों के निवासियों ने आध्यात्मिक केन्द्र के सर्वे-सर्वा वीरेन्द्र देव दीक्षित के अनुयायियों का चोला ओढ़ लिया। देखते-देखते इस तथाकथित आध्यात्मिकता के ठेकेदार वीरेन्द्र दीक्षित का विशाल साम्राज्य बड़ा हो गया जिसे उखाड़ने के लिए सरकार को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है लेकिन तब सरकार कहाँ सो रही थी जब इसका धर्म के नाम पर अधर्म का, पुण्य के नाम पर पाप का और सदाचार के नाम पर दुराचार का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। सी.बी.आई उस (वीरेन्द्र देव दीक्षित) को तलाशन के लिए जगह-जगह की खाक छान रही है लेकिन आज तक भी वो सबसे बड़ी जांच एजेन्सी की गिरफ्त से बाहर है। उसके कारनामों पर सरकार अब तक आंखें क्यों मूंदे रही और मामला बाहर आया तो अन्वेषण विभाग (जांच एजेन्सी) हरकत में आया लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। राम रहीम और वीरेन्द्र देव दीक्षित समेत इन तथाकथित गुरुओं ने आध्यात्मिकता को जिस प्रकार से तार तार किया उससे आधत्मिकता के प्रति आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम की तलाशी व पूछताछ के दौरान जो जानकारी समाने आई वो वास्तव में हम सबको हैरानी में डालने वाली है। गिरफ्तारी के भय से फरार चले रहे उस गुरु के आश्रम से अनुायियों को रासलीला की शिक्षा दी जाती थी और ये खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बताता था। भगवान कृष्ण की तरह (पौराणिक सतानुसार) १६ हजार पत्नियाँ रखने का स्वप्न देखता था, आश्रम में रहने वाली किशोरियों को बाहरी दुनियाँ से दूर रखा जाता था तथा उन्हें न तो टी.वी. देखने दिया जाता था और न ही उन्हें समाचार-पत्र पढ़ने दिया जाता था। रामपाल दास, नारायण सांई, आसाराम, रामरहीम और वीरेन्द्र देव दीक्षित जैसे आध्यात्मिक बाबाओं ने आध्यात्मिकता की पावन गरिमा और महिमा को मिटाने का एक जघन्य व अक्षम्य अपराध किया है। इस अपराध में इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वह कम है। क्योंकि इस प्रकार के बाबाओं ने जहाँ श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है वहीं हमारी पावन-पुरातन आध्यात्मिकता के साथ भी विश्वासघात किया है। जो आध्यात्मिकता आत्मोन्नति का सशक्त साधन है, जो आध्यात्मिकता मुक्ति (मोक्ष) का साधन है, जो आध्यात्मिकता विकारों पर विजय प्राप्ति का साधन है, जो आध्यात्मिकता आत्मसाक्षात्कार का साधन है, जो आध्यात्मिकता परमात्मा को जानने का साधन है, जो आध्यात्मिकता जीवन को और जगत की जंग को जीतने का साधन है, जो आध्यात्मिकता पिंड के और ब्रह्माण्ड के रहस्यों को खोलने का साधन है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है और जो आध्यात्मिकता पारलौकिक और आन्तरिक जीवन को समृद्ध बनाने का साधन है। ऐसी पावन पुरातन विरासत को कलुषित करने का अपराध कोई सामान्य अपराध नहीं है। ऐसा अपराधी समाज व राष्ट्र की एकता के लिए और साथ-साथ उसकी सांस्कृति और धार्मिक अमानत के लिए अभिशा है। ऐसे अभिशापों से समाज में शान्ति नहीं अशान्ति, सुख नहीं दुख, समाधान नहीं अपितु समस्याओं की वृद्धि होती है। ऐसे अभिशाप समाज व राष्ट्र में अन्याय और अराजकता के कारण बनते हैं। ऐसे अभिशाप धर्म और आध्यात्मिकता के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ऐसे अभिशापों को राजनीतिक संरक्षण देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। आज इस प्रकार के आध्यात्मिक बाबाओं के काले कारनामे रोजाना प्रकाश में आ रहे हैं उससे वेद और शास्त्र सम्मत और ऋषियों, महर्षियों द्वारा निर्धारित आध्यात्किता पर संकट गहराता नजर आ रहा है। हमारी जिस आध्यात्मिक विरासत को मुसलमानों का अत्याचारी शासन नहीं मिटा पाया, हमारी जिस आध्यात्मिक समृद्धि को आतातीी अंग्रेजी हकूमत नहीं मिटा पाई हमारी उस आध्यात्मिक धरोहर को वीरेन्द्र देव दीक्षित जैसे छद्म आध्यात्मिक बाबा मिटाने पर तुले हुए हैं। हमारे देश की दुनियाँ में जो आध्यात्मिकता की पावन पहचान है और जिस पावन पहचान के कारण भारत की दुनियाँ भर में प्रतिष्ठा है

और जिस प्रतिष्ठा के कारण भारत वर्ष का दुनियाँ भर में सम्मान है। आज उस पहचान को, उस प्रतिष्ठा को और उस सम्मान को वीरेन्द्र देव दीक्षित जैसे गन्दी और विकृत मानसिकता के लोग धूमिल करने में लगे हुए हैं। वेदों में, शास्त्रों और उपनिषदों में जिस आत्मज्ञान की, ईश्वर की, जीवन और जगत के ज्ञान की विद्या है उसका प्रसार-प्रचार करने के स्थान पर खुद को भगवान कृष्ण का, भगवान राम अवतार घोषित करने की आपस में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। अय्याशी और विलासिता में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी हुई है। धर्म और आध्यात्मिकता का नकाब ओढ़कर भोले भाले युवक युवतियों को अपने चंगुल में फंसाने में लगे हुए हैं। समाज और सरकार इन नामधारी बाबाओं को इन काली करतूतों की तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं और जब उनके खिलाफ विरोध मुखर होने लगता तब समाज और सरकार हरकत में आते हैं लेकिन तब तक समाज का और आध्यात्किता का और धार्मिकता का बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। आज हम सबके सामने भी एक चुनौती है कि इस प्रकार के तथाकथित आध्यात्मिकता का चोला ओढ़े बाबाओं को किस प्रकार बेनकाब किया जाए। अकेले महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने सब मत-मतान्तरों के धुरन्धरों को शास्त्रार्थ में हराकर उनके चेहरे से धर्म और आध्यात्मिकता का नकाब उतारकर, उनके पाखण्डों का, झूठ का, अधर्म का पर्दाफाश किया। श्रद्धानन्द जी, पं. गुरुदत्त विद्यार्थी, पं. लेखराम, मनसाराम वैदिक तोप, पं. रामचन्द्र देहलवी जैसे प्रचारकों, लेखकों व शास्त्रार्थ महारथियों ने ऋषि की शास्त्रार्थ की, वेद प्रचार-प्रसार की उस पावन परम्परा को आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार हमारे ऋषियों, योगियों, मुनियों द्वारा परिभाषित धर्म और आध्यात्मिकता हमारे ही नहीं दुनियाँ भर के जीवन का आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, मानसिक और आत्मिक उत्थान कर सकती है। महर्षि दयानन्द जी ने और उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए तथा सच्चे ईश्वर की उपासना का और ऋषियों की आध्यात्मिकता का न केवल प्रचार-प्रसार किया अपितु धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर फैलाए जा रहे आडम्बरों का जमकर विरोध किया। आज यदि वीरेन्द्र देव दीक्षित जैसे सिरफिरे आध्यात्मिकता के बहाने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, योग केन्द्र जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो सरकार को अविलम्ब कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और आर्यसमाज को चाहिए कि ऐसे नकाबपोशों की वास्तविकता को समाज के सामने लगाए। आज धर्म के विषय में, आध्यात्मिकता के विषय में और ईश्वर के विषय में समाज के अन्दर अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, समाज जागरूक करने के कार्य यद्यपि आर्यसमाज अपनी सामर्थ्यानुसार कर रहा है लेकिन जागरूकता के अभियान में, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अभियान को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्कयता है। जिस प्रकार असंख्यों क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी दासता से देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछार कर दिया था ठीक उसी प्रकार धर्म को अधर्म के चंगुल से, आध्याम्किता को पाखण्डों और आडम्बरों की दलदल से मुक्त कराने के लिए उसी प्रकार के निर्णायक अभियान चलाने की वर्तमान की आवश्यकता है। जैसे रामपाल दास को काबू में करने के लिए और जैसे राम रहीम को काबू करने के लिए प्रदेश की सरकार को नाकों चने चबाने पड़े थे उससे अधिक कठिनाई का सामना वीरेन्द्र देव दीक्षित को काबू करने के लिए केन्द्रिय अन्वेषण विभाग (सी.बी.आई.) को कारना पड़ रहा है। न्यायालय के दीक्षित को जल्दी से जल्दी न्यायालय में पेश करने के आदेश ने जांच ब्यूरों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यदि उसके जीवन में सत्य होता, यदि उसके जीवन में धर्म होता, यदि उसके जीवन में आध्यात्मिकता होती, यदि उसके जीवन में आत्मिक बल होता, यदि उस (दीक्षित) के जीवन में नैतिक बल होता और उसके जीवन में चारित्रिक बल होता तो वह इस पकार अपने पापों और कुकृत्यों के बोझ को लेकर जगह-जगह छिपकर सी.बी.आई. को चकमा देता नहीं फिरता क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है कि ''सत्यमेव जयते नानृतम्' अर्थात् हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं।

महर्षि दयानन्दाभिमत मुक्ति मीमांसा

(डॉ. रमेश दत्त मिश्र, फैजाबाद) (सितम्बर 2017 अंक का शेष)

वहाँ कोई दुःखी नहीं रहता। सब जीव सुख में रहते हैं। यह सब भ्रममूलक बातें हैं। स्त्रियों व मद्यमांस आदि का अत्यधिक भोग व सेवन करने से वे दुःख के कारण बन जाते हैं। किसी विशेष स्थान पर बँधकर रहना मुक्ति नहीं है अपितु यह भी एक प्रकार का बन्धन ही है। मुक्ति केवल अवस्था विशेष का नाम है। उसका किसी स्थान विशेष या देश विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग है और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है, वही विशेष स्वर्ग कहलाता है। इसलिए मुक्ति में जीव किसी स्थान विशेष पर नहीं रहता। वह परमात्मा में स्थित होकर उसके सत् स्वरूप को जानता है और उसके आनन्द स्वरूप का भोग करता है। अन्य मुक्त आत्माओं से मिलता है और स्वतन्त्रता से उनके साथ लोक-लोकान्तरों में घूमता है।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि मुक्ति में जीव के साथ भौतिक शरीर और इन्द्रियों के गोलक नहीं रहते, किन्तु उसके सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुण और बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और ग्रन्ध ग्रहण तथा ज्ञान- ये चौबीस प्रकार के स्वाभाविक सामर्थ्य या शक्तियाँ रहती हैं। इन्हीं शक्तियों से जीव मुक्ति में संकल्प मात्र (तीव्र निश्चय) से आनन्द का भोग करता है अर्थात् जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिए घ्राण, संकल्प-विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और जैसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है।

महर्षि दयानन्द जी मुक्ति को अनन्त समय तक नहीं मानते। उनके अनुसार इसका एक निश्चित समय हैं उसके पूरा हो जाने पर मुक्त जीव को पुनः जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। इसे मुक्ति से पुनरावर्तन या लौट आना कहते हैं। इसके विपरीत दार्शनिक जगत् में यह विश्वास प्रचलित है कि मुक्त जीव मुक्ति से वापिस नहीं लौटते हैं। उपनिषद् आदि ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेक प्रमाण भी मिलते हैं यथा- न च पुनरार्क्तते न च पुनरार्क्तत इति। अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्। यद् गत्वा न निर्क्तन्ते तद्धा परमं मम।। इत्यादि

महर्षि दयानन्द जी कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया गया है। वे अपने मत के समर्थन में ऋग्वेद के निम्नलिखित दो मंत्र उद्धृत करते हैं-

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम।

को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेय मातरं च।।

अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम।

स नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च।।

ऋ. मं. १/ सूक्त २४/मं. १,२।।

पहले मन्त्र में प्रश्न है और दूसरे मंत्र में इसका उत्तर है।

प्रश्न- हम लोग किसका नाम पवित्र जानें? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है। हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है?।। १।।

उत्तर- हम इस स्वप्रकाशरूप अनादि, सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हमकों मुक्ति में आनन्द भुगाकर पृथिवी में पुनः माता-पिता के सम्बन्ध

में जन्म देकर माता-पिता का दर्शन कराता है।।२।।

महर्षि दयानन्द जी ने अपने मत के समर्थन में सांख्य दर्शन के "इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः सूत्र को भी उद्‌धृत किया है और कहा है- "जैसे इस समय बन्ध मुक्त जीव है वैसे ही सर्वदा रहते हैं, अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता, किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती।"

अगर सांख्य दर्शन की इस बात को हम मान लें तब तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन का खण्डन करता है, क्योंकि वह- "तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग सूत्र के माध्यम से दुःखों के अन्यन्त विच्छेद को मुक्ति कहता है, फिर ऐसी स्थिति में जीव का वापिस आना कैसे सिद्ध हो सकता है? इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द जी कहते हैं कि उक्त सूत्र में जो "अत्यन्त" पद का प्रयोग किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि उसका अर्थ केवल अत्यन्ताभाव ही होवे अपितु इसका अर्थ बहुत भी हो सकता है। इस प्रकार यदि "अत्यन्त" पद का अर्थ "बहुत" मान लिया जाय तो उक्त सूत्र का अर्थ होगा- बहुत समय तक दुःखों का विनाश अर्थात् जीवों के सारे दुःखों का बहुत समय तक खत्म हो जाना ही मुक्ति है, न कि हमेशा-हमेशा के लिए दुःखों का खत्म हो जाना। इस अर्थ को मान लेने पर जीवों का मुक्ति से वापिस आना सिद्ध हो जाता है। तर्क से भी मुक्ति अन्त सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जीव का सामर्थ्य, शरीरादि पदार्थ, साधन और कर्म परिमित हैं। इसलिए मुक्त जीव अनन्त समय तक मुक्ति में नहीं रह सकता।

यहाँ प्रश्न उठता है कि कितने समय तक जीव मुक्ति में रहता है? इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द जी ने मुण्डकोपनिषद का- "ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे।।" यह वचन उद्‌धृत किया है और इसके आधार पर मुक्ति का समय एक महाकल्प या परान्तकाल तक बतलाया है और परान्तकाल का गणित भी दिया है, जो इस प्रकार है- "तेंतालीस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी, दो सहस्र चतुर्युयिों का एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष, ऐसे शत वर्षों का परान्तकाल होता है। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। गणित की रीति से निकालने पर यह काल ३१ नील, १० खरब, ४० अरब वर्ष बनता है। इतने समय तक मुक्तात्मा मुक्ति में रहता है। इसके बाद मुक्ति से वापस आ जाता है। यही प्रश्न उठता है कि ऐसी मुक्ति तो जन्म-मरण के सदृश है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिये श्रम करना व्यर्थ है? इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द जी का कहना है कि मुक्ति जन्म-मरण के सदृश नहीं है। ३१ नील, १० खरब और ४० अरब वर्षों तक मुक्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना, दुःख का न होना, क्या छोटी बात है? जब आज खाते-पीते हो कल भूख लगने वाली है, पुनः इसका उपास क्यों करते हो? जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिए क्यों न करना? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है तथापि इसका उपाय करना अत्यावश्यक है।

इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपनिषद् आदि ग्रंथों में जहाँ कहीं भी मुक्तात्मा को मुक्ति से वापिस न आने के लिए कहा गया है, वहाँ केवल परान्तकाल ही की दृष्टि से कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। अतः जीवों का मुक्ति से पुनरावर्तन मानना महर्षि दयानन्द जी का विलक्षण मन्तव्य है। इसके लिये वे भारतीय दर्शनशास्त्र के इतिहास में हमेशा याद किये जायेंगे। अन्त में मैं ऋग्वेद (१०-६२-३) के इस मंत्र के साथ इस शोध-पत्र को समाप्त करता हूँ-

च ऋतेन सूर्यमारोहयन् दिव्य प्रथयमन् पृथिवीं मातरं वि।

सुप्रजास्त्वमंगिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः।।

जिन्होंने सत्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया, तुम्हारी पूजा श्रेष्ठ हो, हे मुक्त पुरुषों! तुम फिर मनुष्य शरीर धारण करो।

❑❑

आर्यों का संघर्ष व बलिदान (3)

(राजेशार्य आट्टा)

प्रिय पाठकवृन्द! यह तो ठीक है कि 'सत्यमेव जयते' (सत्य ही जीतता है), पर इतिहास में देखा जाता है कि सत्य अपने आप नहीं जीतता। सत्य को जिताना पड़ता है। उसको जिताने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यह परिश्रम और त्याग सत्याग्रही लोग ही कर सकते हैं। आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले व्यक्तियों में ऋषि दयानन्द का जीवन सर्वाधिक अपमानों व कष्टों से भरा हुआ था। उनके अनुयायियों ने भी अपने सुख छोड़कर सत्य को जिताने के कटक पथ अपनाया। उसी के परिणाम स्वरूप समाज की बहुत सी कुप्रथाएँ आज की पीढ़ी के लिए आश्चर्यजनक कहानियाँ बनकर रह गयी हैं। पर दुर्भाय से स्वार्थ की राजनीति का ऐसा कुचक्र चला कि आर्य समाज के वे प्रेरक व्यक्ति इतिहास के परिदृश्य से बिल्कुल गायब कर दिये गये।

हिन्दू धर्म के ठेकेदारों की आर्यसमाज के प्रति घृणा व दुर्भावना ने भी देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। यद्यपि अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने उपकारकों व रक्षसों (महाराणा प्रताप, शिवाजी, बन्दा बैरागी आदि) का भी विरोध करने वाले कुछ लोग हिन्दू समाज में पहले भी थे, पर ऋषि दयानन्द और उनके सुधारक शिष्यों का विरोध व अपमान करने में तो यह समाज नीचता की हद ही कर गया।

मुसलमानों ने तो हिन्दुओं के जनेऊ तोड़े ही थे, कथित ब्राह्मण ऐसे लोगों को जनेऊ तो न दे सके, आर्य समाज द्वारा दिये गये जनेऊ भी तोड़ डाले। मोरपुर रियासत जम्मू के विशिष्टों को ार्यसमाज ने जाति-प्रवेशा कराया और उनको यज्ञोपवीत धारण कराये तो पौराणिकों को क्रोध आ गया। एक विशिष्ट को पकड़ उसको जनेऊ तोड़ डाला। गले से लेकर कमर तक उसका शरीर गर्म दरांती और लाल-लाल सलाखों से दाग दिया और जनेऊ का निशान बनाकर कहा, "लो तुम्हें पक्का जनेऊ पहना दिया।" जिन ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा वैश्यों ने शुद्धि (मुसलमानों को फिर हिन्दू बनाना) और अछूतोद्धार के काम में सहयोग, उन्हें जाति-बहिष्कृत करके रोटी बेटी का रिश्ता-नाता बन्द कर दिया। आर्यसमाजी पापी का पर्यायवाची शब्द बन गया था।

ऋषि दयानन्द के बलिदान के बाद वैदिक धर्म का प्रचार करने के कारण बलिदान देने वाले पहले आर्यवीर चिरंजीवलाल जब आर्यसमाजी बने, तो उनकी पौराणिक माँ को औरतों ने चिढ़ाया कि तेरा बेटा तो 'आरया' (आर्य) हो गया। माँ ने अपने लाडले बेटे से कहा- "बेटा, यह तूने क्या कर दिया। क्या तू आरया हो गया। यह तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे बहिष्कृत कर दूँगी। आज तू ऐसा कर्म करने लगा है। मुझ विधवा की ओर तनिक देख तो।" आर्यवीर ने किसी तरह माँ को समझाया।

पं. लेखराम की तरह निर्भीक होकर शराब, बाल-विवाह, अन्धविश्वास आदि का खण्डन और शुद्धि का प्रचार करने वाले पं. चिरंजीव की माता का देहान्त (जनवरी १८९२ ई.) हुआ, तो ब्राह्मणों ने उनसे पौराणिक क्रियाएँ करवानी चाहीं। ऋषि के मतवाले ने साफ मना कर दिया, तो पौराणिकों ने शव को कन्धा तक देने से मना कर दिया। पं. चिरंजीव माता के शव को एक चादर में बाँधकर कपड़ा बेचने वाले (फेरी वाले) की तरह स्वयं ही शव को पीठ पर रखकर श्मशान भूमि में ले गये और अंतिम संस्कार किया। महर्षि की तरह पं. चिरंजीव को भी सुधार विरोधियों ने विष दे दिया, जिससे वीर धर्म की वेदी पर कुर्बान (२७ जुलाई, १८९३ ई.) को हो गया।

पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) के जिला 'डेरा गाजी खां' के गाँव 'कोह घुट्टा' में पं. लेखराम के प्रचार से प्रभावित होकर तीन युवक चोखानन्द छबीलदास और खूबीराम आर्य बन गये तो गाँव वालों ने उनका समााजिक

बहिष्कार कर दिया। आर्यवीरों ने खुशी खुशी सब अपमान सहा, पर वे डगमगाये नहीं। कुछ समय के बाद छबीलदास की माता का देहान्त हो गया, तो गाँव का कोई भी व्यक्ति माता की अरथी को कंधा देने नहीं आया। तीनों आर्यवीर अरथी उठाकर श्मशान की ओर चल पड़े। रास्ते में खूबीराम की माँ उसे हटाकर ले गयी। फिर दोनों ने अरथी उठाई। खूबीराम फिर भागकर शवयात्रा में शामिल हो गये। घी सामग्री डालकर वेदमंत्रों से आहुतियां दी गई। गाँव में पहली बार वैदिक रीति से दाह संस्कार हुआ, पर लोगों ने प्रचार किया कि आर्य अपनी माता का शव भूनकर खा गये हैं।

रोपड़ (पंजाब) के पं. सोमनाथ अछूतोद्धार का कार्य बड़े उत्साह से कर रहे थे। शहर और बिरादरी के लोग उनसे नाराज हो गये। उन्हें और उनके परिवार को बिरादरी से गिरा दिया गया। शहर के सब कुओं से उनके लिए पानी भरना बन्द हो गया। पं. सोमनाथ इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जोहड़ों और नहर से पानी लेकर पीना आरम्भ कर दिया। यह पानी साफ नहीं होता था। इसके कुछ दिन निरन्तर सेवन से उनकी माता रोगी हो गई। डाक्टरों को रोग के कारण पता चला, गंदा पानी। पर हुएं का पानी तो क्षमा माँगने और अछूतोद्धार कार्य छोड़ने पर ही मिल सकता था। ऋषि दयानन्द का दीवाना इसके लिए तैयार न था। उधर माता अच्छी नहीं हो रही थी। सोमनाथ को उदास देखकर माँ ने कहा, बेटा! मैं कब तक जीती रहूँगी। मैंने तो एक दिन मरना ही है। अभी सही। तुम अपने धर्म पर डटे रहो। बेटा! मैं धर्म की खातिर हँसते-हँसते मरूँगी।" और सचमुच पं. सोमनाथ की माता अछूतोद्धार के लिए अपने जीवन की आहुति दे गयी। सम्भवतः यह दलितोद्धार आन्दोलन में पहला बलिदान था।

कश्मीर राज्य के महाशय रामचन्द्र एक महाजन थे। ये राज्य की तहसील में खजाञ्ची थे। इन्हें दलितोद्धार के कार्य से अगाध प्रेम था। १९१९ ई. के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द जी थे। महाशय जी अधिवेशन में भाग लेना चाहते थे, पर तहसीलदार ने अनुमति नहीं दी, तो आर्यवीर ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इनकी दृढ़ता ने शासन को झुका दिया। १९२२ में अखनूर बदली हो गई, तो वहाँ कपड़ा बुनने वाले सज्जन मेघों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो गये। इस दलितोद्धार से जाति अभिमानी राजपूत क्रोधित हो गये। पं. रामचन्द्र ने मेघ बालकों के लिए एक पाठशाला खोनी चाही, तो उसे ये अविधाग्रस्त लोग सहन न कर सके। इन्होंने मुसलमानों को भी आर्यसमाज के विरुद्ध उकसाया। म. रामचन्द्र का बहिष्कार कर दिया गया। सफाई कर्मचारी भी आर्यो का बहिष्कार कर गये। अछूतोद्धार को समर्पित वीर रामचन्द्र ने गाँव-गाँव में मेघों की पाठशाला स्थापित करने के लिए चार मास की अवैतनिक छुट्टी ले ली। बटैहड़ा गाँव में पाठशाला खोलने के लिए ३१ दिसम्बर १९२२ को विद्यार्थियों व आर्य बन्धुओं के साथ गये, तो जाति अभिमानियों ने आर्यो को जीभर कर गालियाँ दी। ओ३म् ध्वज छीन लिया व हवन-कुण्ड भी तोड़ दिया।

१४ दिन बाद महाशय रामचन्द्र पुनः आर्यबन्धुओं के संग पाठशाला खोलने चले गये। लगभग १५० राजपूत व कुछ मुसलमान गुज्जर इन पर धावा बोलने आ गये। सभी पर लाठियों का प्रहार किया। वीर रामचन्द्र को लाठियों की मार के बाद लोहे के हथियारों से घायल कर मूर्छित अवस्था में छोड़कर भाग गये। उनके साथी जम्मू जा रही नौका से उन्हें हस्पताल ले गये। वहीं २० जनवरी १९२३ को महाशय रामचन्द्र का बलिदान हो गया।

नारायण प्रसाद (महात्मा नारायण स्वामी) मुरादाबाद के कलक्टर के दफ्तर में क्लर्क पद पर नियुक्त थें यहीं आर्यसमाज के सम्पर्क में आये और १८९९ ई. में आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री चुने गये। सभा का कार्यालय भी मुरादाबाद पहुँच गया। बुन्देलखण्ड की ड्यूटी लगी। आर्थिक दृष्टि से नया पद आकर्षक था, पर आर्य समाज के कार्य की हानि की संभावना से बुन्देलखण्ड जाने से मना कर दिया। मुरादाबाद में इन्होंने बहुत सी शुद्धियाँ करवाई थीं। इन्होंने प्रस्ताव किया कि शुद्ध हुए व्यक्ति के हाथ से सब आर्यजनों को पानी पीना चाहिए। इस पर आर्य सभासदों में वावेला मच गया। बहुत से सभासद त्याग पत्र देने को तैयार हो गए। परन्तु कुछ लोग नारायण प्रसाद जी के साथ सहमत हो गये और उन्होंने

ईसाई से शुद्ध हुए पण्डित श्री राम के हाथ से पानी पी लिया। इस पर हिन्दू समाज ने म्लेच्छ के हाथ से पानी पीने वाले नास्तिकों (?) पर सामाजिक दमन के तीर फेंकने शुरू कर दिये। कहारों को पानी भरने से मना कर दिया। मेहतरों को कहा कि उनके घर की सफाई मत करो। उनके परिवार के लोगों को कुएं पर चढ़ने से रोक दिया गया। ये सब अत्याचार दयानन्द के मतवालों ने धैर्य से सह लिये। सरकारी अफसरों ने चाहा कि सामाजिक अत्याचारों के विरुद्ध अदालत में रपट लिखाई जाए, परन्तु नारायण प्रसाद जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि स्वामी दयानन्द जी अनुयायी अत्याचार सह लेंगे, अपने भाइयों के विरुद्ध सरकार का दरवाजा न खटखटायेंगे।' इस उत्तर से प्रभावित होकर स्थानीय अधिकारियों ने स्वयं उत्पात मचाने वालों को कठोर चेतावनी देकर ठंडा कर दिया।

पंजाब में सामूहिक रूप से दलितोद्धार के कार्य की नींव पं. गंगाराम जी (मुजफ्फरगढ़) ने रखी। ओड़जाति के लोगों को शुद्ध कर उन्होंने उनके लिए पाठशाला खोली। इन्हीं की प्रेरणा से एक बाल विधवा (१३-१४ वर्ष की) सावित्री देवी जालन्धर में लाला देवराज जीके पास पढ़कर उनके कन्या विद्यालय की मुख्याध्यापिका व प्रिंसीपल बनी। जब लाला मुन्शीराम ने हरिजनों की एक जाति रहतियों को आर्य समाज में प्रविष्ट किया, तो पंजाब के हिन्दु और सिख इसके विरोध में खड़े हो गये (१८९३ ई.)। कहारों ने आर्य समाजियों का पानी भरना बन्द कर दिया। पर महात्मा मुन्शीराम ने इस विरोध की कोई परवाह न की। रहतियों के प्रवेश के साथ समस्त हरिजन जातियों के लिए आर्यसमाज का द्वार खुल गया।

महाशय कृष्ण की जन्मभूमि गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में आर्य समाज ने मेघों को अपने साथ मिलाया, तो वहाँ की हिन्दू बिरादरी ने आर्य समाजियों का पानी बन्द कर दिया। महाशय जी की गली का कुआं उनकी निजी सम्पत्ति था। अतः उनकी बिरादरी के लोग उन्हें तो पानी भरने से रोक न सकते थे, उन्होंने कुएं का ही बहिष्कार कर दिया।

ऋषि दयानन्द के शिष्यों का बलिदान व साहस व्यर्थ नहीं गया। परिस्थितियाँ बदलीं। जाति अभिमानियों ने आर्य समाज को समझा और बाद में उन्होंने आर्य समाज के उन्हीं कार्यों का समर्थन व सहयोग किया, जिनके पहले घोर विरोधी थे। "धीरे-धीरे आर्य समाज ने हरिजनों की तमाम जातियों को अपनी गेद में ले लियां अर्ा समाज ने छुआछूत समाप्त कर दी ाि किन्तु १९३८ के कम्यूनल अवार्ड ने जो बर्तानिया के प्रधान मंत्री मिस्टर रैमसे मैकडानैल्ड ने दिया इसे पुनर्जीवित कर दिया। चुनाव में भाग लेने के लिये जो हरिजन अपने को आर्य कहने लग गये थे वे फिर से चमार, मेघ, डोम बटवार इत्यादि कहने लग गये।"

(महाशय कृष्ण जी)

आर्यसमाज ने हार नहीं मानी। ऋषि दयानन्द के शिष्य बिना राजनैतिक लाभ व प्रतिशोध-घृणा की भावना के मानव हितैषी बनकर दलितोद्धार में लगे रहे। हर समय दलितों के मसीहा के रूप में पेरियार, अम्बेडकर व मायावती का गुणगान कर बदले की भावना में जलने वालो! मभी इन बलिदानियों के प्रति भी कृतज्ञता भाव प्रकट कर लिया करो। तुम्हारे उद्धार के लिए ही तो ऋषि के शिष्य बिना घृणा व्यक्त किये अपमान के घूंट पी गये। क्योंकि इनके आचार्य दयानन्द की शिक्षा ही ऐसी थी-

भडौं. में माधवराव त्र्यम्बक शास्त्रा में पराजित होकर गाली-गलौच पर उतर आया। यह सुनकर सेवक बलदेव ने रौद्र रूप का प्रदर्शन किया, तो महर्षि उसे शान्त करते हुए बोले- "बलदेव! किन पर कोप कर रहे हो तुम? ये अपने ही भाई तो हैं। इन्हीं की कल्याण कामना में तो मैं अहर्निश लगा हूँ।"

बरसूँ जगत् में जलद-सा, जीवन करूँ सबका हरा,
फूले फलें हिलमिल रहें, बन स्वर्ग जाए यह धरा।
यह कामना पूरी करूँ हे ईश यह वरदान दो,
जग को बना दूँ मैं सुखी, ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो।।

❑❑

सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में से चुने हुए अनमोल वचन

(भावेश मेरजा)

सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के प्रवर्त्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का जग प्रसिद्ध ग्रन्थ है। पूर्वार्ध में वैदिक धर्म सम्बन्धित अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। उत्तरार्ध में चार समुल्लास हैं। उत्तरार्ध के इन समुल्लासों में आर्यावर्त्तीय मत-सम्प्रदायों, चार्वाक-बौद्ध-जैन मतों, ईसाई तथा मुसलमानों के मत की क्रमशः उनके मान्य प्रमुख ग्रन्थों के आधार पर समालोचना की गई है। ग्रन्थ की मुख्य भूमिका, उत्तरार्ध के चारों समुल्लासों की अनुभूमिकाओं तथा ग्रन्थ के अन्त में लिखे गए स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश प्रकरण में महर्षि ने इस ग्रन्थ का प्रयोजन सत्यान्वेषण के द्वारा ऐक्य निर्माण कर मानव जाति की उन्नति करना है यह भली भाँति दर्शाया है। इन मत-मजहबों की समीक्षा प्रस्तुत करने से पूर्व ग्रन्थ के पूर्वार्ध के अन्त में महर्षि ने अपने पाठक वृन्द से यह आशा व्यक्त की है कि वे इस ग्रन्थ के उत्तरार्ध में की गई समालोचनाओं को न्याय दृष्टि से देखेंगे और इनमें किए गए स्थूल तथा सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को ठीक से समझेंगे। ग्रन्थ का १२वां समुल्लास चार्वाक, बौद्ध और जैन मतों के विषय में है जिसमें इन मतों के मान्य ग्रन्थों के अनेक वचनों को उद्‌धृत कर उन पर महर्षि ने अपनी 'समीक्षा' प्रकाशित की है। उत्तरार्ध के ये चारों समुल्लास मुख्यतः खण्डन-मण्डन परक होने से देखा गया है कि कई बार कुछ पाठक इन समुल्लासों में विद्यमान कई अति महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक बातों एवं सच्चाइयों की ओर सम्यक् ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रस्तुत लेख में १२वें समुल्लास से संकलित की गई ऐसी कुछ चुनी हुई सच्चाइयां तथा सिद्धान्त वाक्य पाठकों के स्वाध्याय तथा चिन्तन हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं।

१. द्वेष ही पाप का मूल है।

२. जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता।

३. जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है।

४. स्वर्ग सुख-भोग और नरक दुःख-भोग का नाम है।

५. सबसे प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्त्तना शुभ चरित्र कहाता है।

६. सब मतों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है।

७. वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा।

८. सबके सामने नंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत् लीला है।

९. 'चारवाक' शब्द का अर्थ - जो बोलने में 'प्रगल्भ' और विशेषार्थ 'वैतण्डिक' होता है।

१०. अपने घर वालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता।

११. जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण-कर्म-स्वभाव भी नित्य होते हैं।

१२. जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है, दृश्य कभी नहीं होता।

१३. जो ईश्वर क्रियावान् न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता?

१४. ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्त्ता है, जैवी सृष्टि का नहीं।

१५. जो जीवों के कर्त्तव्य कर्म हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है।

१६. पृथिव्यादि भूत जड़ हैं। उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

१७. जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है।

१८. धर्माऽधर्म द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं।

१९. पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किञ्चित् भी निर्वाह नहीं हो सकता।

२०. रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्मानुष्ठान की बाधा होती है।

२१. जहां अटकाव, प्रीति और अप्रीति है उसको 'मुक्ति' क्यों कर कह सकते हैं?

२२. बिना वेदों के यथार्थ अर्थ-बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते।

२३. सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं।

२४. सब प्राणियों के दुःख-नाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना 'दया' कहाती है।

२५. पशु मार के होम करना वेदादि सत्य शास्त्रें में कहीं नहीं लिखा।

२६. जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ।

२७. जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता।

२८. परमात्मा अनाद्यनन्त (अनादि, अनन्त), सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञान-स्वरूप है।

२९. जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाम मात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना- ये तीन बातें अच्छी हैं।

३०. जिसका प्रदेश होता है वह विभु नहीं, जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ, केवल-ज्ञानी कभी, नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता-आता है और बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता।

३१. जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर घूमे तो कई वर्षों का दिन और रात होवे।

३२. आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक-ठीक भूगोल, खगोल विदित हुए।

३३. सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है।.. चोर डाकुओं को कोई भी दण्ड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाये? इसलिए दुष्टों को यथावत् दण्ड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इसके विपरीत करने में दया-क्षमा रूप धर्म का नाश है।

३४. जल, स्थल, वायु के स्थावर शरीर वाले अत्यन्त मूर्छित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता।

३५. जो अत्यन्त अन्धकार, महा-सुषुप्ति और महा-नशा में जीव हैं इनको सुख-दुख की प्राप्ति मानना. .. भूल विदित होती है।

३६. जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुमको सुख-दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते? सुख-दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है।... नशा सुघा के डॉक्टर लोग अंगों को चीरते, फाड़ते और काटते हैं। जैसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अति मूर्छित जीवों को सुख-दुःख क्योंकर प्राप्त होवें? क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं।

३७. पीड़ा उसी जीव को पहुंचती है जिसकी वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो। इसमें प्रमाण- 'पञ्चावयवयोगात्सुखसंवित्तिः।'- यह सांख्य शास्त्र का सूत्र है। जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे को रूप व आगे से सर्प, व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरी वालों को स्पर्श, पिन्नस रोग वाले को गन्ध और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार उन (वायुकाय के) जीवों की भी व्यवस्था है।

❑❑

क्या टीपू सुल्तान न्यायप्रिय शासक था?

(डॉ. विवेक आर्य)

कर्णाटक से केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार द्वारा टीपू सुल्तान को अत्याचारी और बर्बर शासक बताया गया। इतिहास को निष्पक्ष होकर देखे तो पता चलता है टीपू सुल्तान का असली चेहरा क्या था? बुद्धिजीवी समाज में सत्य और असत्य के मध्य भी एक युद्ध लड़ा जाता है। इसे बौद्धिक युद्ध कहते हैं। यहाँ पर समाज में सत्य और असत्य के मध्य भी एक युद्ध लड़ा जाता है। इसे बौद्धिक युद्ध कहते हैं। यहाँ पर तलवार का स्थान कलम ले लेती हैं और बाहुबल का स्थान मस्तिष्क की तर्कपूर्ण सोच ले लेती हैं। इसी कड़ी में इस बौद्धिक युद्ध का एक नया पहलू है टीपू सुल्तान, अकबर और औरंगजेब जैसे मुस्लिम शासकों को धर्म निरपेक्ष, हिन्दू हितैषी, हिन्दू मंदिरों और मठों को दान देने वाला, न्यायप्रिय और प्रजा पालक सिद्ध करने का प्रयास। इस कड़ी में अनेक भ्रामक लेख प्रकाशित किये जा रहे हं। इन लेखों में इतिहास की दृष्टि से प्रमाण कम है, शब्द जाल का प्रयोग अधिक किया गया है। परन्तु हजार बार चिल्लाने से भी असत्य सत्य सिद्ध नहीं हो जाता। इस लेख के माध्यम से यह सिद्ध किया जायेगा कि टीपू सुल्तान मतान्ध एवं अत्याचारी शासक था। अकबर और आ।रंगजेब के विषय में अलग से लेख लिखा जायेगा। इस लेख का मूल उद्देश्य किसी भी मुस्लिम शासक के प्रति द्वेष भावना का प्रदर्शन करना नहीं अपितु जो जैसा है उसे वैसा बताना है। आशा है इस लेख को पढ़ कर हिन्दू युवकों को भ्रमिक करने के लिए जो यह कवायह की जा रही है वह निरर्थक एवं निष्फल सिद्ध होगी।

टीपू सुल्तान के विषय में निम्नलिखित भ्रांतियां प्रचारित की जा रही हैं :-

१. टीपू सुल्तान के राज्य में हिन्दुओं को सरकारी नौकरी का भरपूर मौका मिलता था। उदाहरण के रूप में टीपू के प्रधानमंत्री का नाम पूर्णया था और वह एक ब्राह्मण था।

२. टीपू सुल्तान अनेक मंदिरों को वार्षिक अनुदान दिया करता था।

३. टीपू सुल्तान के श्रंगेरी मठ के जगद्गुरू शंकराचार्य से अति घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध थे। दोनों के मध्य पत्र व्यवहार मिलता है।

४. टीपू सुल्तान प्रतिदिन नाश्ता करने के पहले रंगनाथ जी के मंदिर में जाता था जो श्रीरंगापटनम के किले में था।

५. टीपू सुल्तान ने कभी हिन्दुओं को प्रताड़ित नहीं किया। कभी हिन्दुओं पर अत्याचार नहीं किया।

६. टीपू सुल्तान देश भक्त था। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर वीरगति प्राप्त की थी।

भ्रांतियों का सप्रमाण निवारण

भ्रान्ति नं. १. टीपू सुल्तान के राज्य में हिनदुओं को सरकारी नौकरी में भरपूर मौका मिलता था। उदाहरण के रूप में टीपू के प्रधानमंत्री का नाम पूर्णया था और वह एक ब्राह्मण था।

निवारण- टीपू सुल्तान की नौकरी में मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाती थी। यहाँ तक कि अयोग्य होने पर भी मुसलमान होने के कारण बड़ी से बड़ी नौकरी पर एक मुसलमान को बैठाया जाता था। इससे प्रजा की दशा और अधिक शोचनीय हो गई। टीपू सुल्तान के मंत्रियों में केवल पूर्णिया एकमात्र हिन्दू था। मुसलमानों को गृह कर, संपत्ति कर से छूट थी। जो हिन्दू मुसलमान बन जाता था। उसे भी यह छूट प्राप्त हो जाती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात् अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किये गए मैसूर के भू राजस्व विभाग के अधिकारी मक्लॉयड भी लिखते हैं कि टीपू सुल्तान के

राज्य में सभी अधिकारियों के केवल मुस्लिम नाम हैं जैसे शेख अली, शेर खान, मुहम्मद सैय्यद, मीर हुसैन, सैयद पीर आदि।

भ्रान्ति नं. २. टीपू सुल्तान अनेक मंदिरों को वार्षिक अनुदान दिया करता था।

निवारण- विलियम लोगन एवं लेविस राइस के अनुसार टीपू सुल्तान के पूरे राज्य में उसकी मृत्यु के समय केवल दो मंदिरों में दैनिक पूजा होती थी। उनके अनुसार टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में ८०० मंदिरों का विध्वंश किय था। अनेक लेखकों ने अपने लेखों द्वारा टीपू सुल्तान द्वारा तोड़े गए मंदिरों पर विचार प्रकट किये हैं।

टीपू द्वारा मंदिरों का विध्वंस

दी मैसूर गज़टियर बताता है कि "टीपू ने दक्षिण भारत में आठ सौ से अधिक मन्दिर नष्ट किये थे।" के.पी. पद्मनाभ मैनन और श्रीधरन मैनन द्वारा लिखित पुस्तकों में उन भग्न, नष्ट किये गये, मन्दिरों में से कुछ का वर्णन करते हैं-

"चिन्गम महीना ६५२ मलयालम ऐरा तदनुसार अगस्त १७८६ में टीपू की फौज ने प्रसिद्ध पेरुमनम मन्दिर की मूर्तियों का ध्वंस किया और त्रिचूर और करवन्नूर नदी के मध्य के सभी मन्दिरों का ध्वंस कर दिया। इरिनेजालाकुडा और थिरुवांचीकुलम मन्दिरों को भी टीपू की सेना द्वारा खण्डित किया गया और नष्ट किया गया।" अन्य प्रसिद्ध मन्दिरों में से कुछ, जिन्हें लूटा गया, और नष्ट किया गया था, वे थे- त्रिप्रंगोट, थ्रिचैम्वरम्, थि/मवाया, थिरवन्नूर, कालीकट थाली, हेमम्बिका मनिदरपालघाट का जैन मन्दिर, माम्मियूर, परम्बाताली, पेम्मायान्दु, थिरवनजीकलम, त्रिचूर का बडक्खुमन्नाथन मन्दिर, बैलूर शिवा मन्दिर आदि।"

"टीपू की व्यक्तिगत डायरी के अनुसार चिराकुल राजा ने टीपू सेना द्वारा स्थानीय मन्दिरों को विनाश से बचाने के लिए, टीपू सुल्तान को चार लाख रुपये का सोना चाँदी देने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु टीपू ने उत्तर दिया था, "यदि सारी दुनिया भी मुझे दे दी जाए तो भी मैं हिन्दू मन्दिरों को ध्वंस करने से नहीं रुकूँगा। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कि कहावत आपने सुनी होगी। टीपू सुल्तान पर सटीक रूप से लागू होती है।

भ्रान्ति नं. ३. टीपू सुल्तान के श्रंगेरी मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य से अति घनिष्ठ मैत्री समबन्ध थे। दोनों के मध्य पत्र व्यवहार मिलता है।

निवारण- जहाँ तक श्रृंगेरी मठ से सम्बन्ध है डॉ. एम गंगाधरन लिखते हैं कि टीपू सुल्तान भूत प्रेत आदि में विश्वास रखता था। उनसे श्रृंगेरी मठ के आचार्यो को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए दान भेजा जिससे उसकी सेना पर भूत-प्रेत आदि का कुप्रभाव न पड़े।

भ्रान्ति नं. ४. टीपू सुल्तान प्रतिदिन नाश्ता करने के पहले रंगनाथ जी के मंदिर में जाता था जो श्रीरंगापटनम के किले में था।

निवारण- पि.सी.न राजा में लिखते हैं कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों द्वारा टीपू सुल्तान के लिए एक भविष्यवाणी करी थी। जिसके अनुसार अगर टीपू सुल्तान मंदिर में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान करवाता था जिससे उसे दक्षिण भारत का सुलतान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अंग्रेजों से एक बार युद्ध में विजय प्राप्त होने का श्रेय टीपू ने ज्योतिषियों की उस सलाह को दिया था। जिसके कारण उसे युद्ध में विजय प्राप्त हुई, इसी कारण से टीपू ने उन ज्योतिषियों को और मंदिर को ईनाम रूपी सहयोग देकर सम्मानित किया था। श्रृंगेरी मठ और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का नाम लेकर टीपू को उदारवादी सिद्ध करना अपने आपको धोखा देने के समान है।

भ्रान्ति नं. ५. टीपू सुल्तान ने कभी हिन्दुओं को प्रताड़ित नहीं किया। कभी हिन्दुओं पर अत्याचार नहीं किया।

निवारण- टीपू सुल्तान के पत्र और तलवार पर अंकित शब्दों को पढ़कर टीपू सुल्तान का असली चेहरा सामने आ जाता है।

टीपू के पत्र

टीपू द्वारा लिखित कुछ पत्रों, संदेशों और सूचनाओं

के कुछ अंश निम्नांकित हैं। विख्यात इतिहासज्ञ सरदार पाणिक्कर ने लन्दन के इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी से इन सन्देशों, सूचनाओं व पत्रों के मूलों को खोजा थां।

(१) अब्दुल खादर को लिखित पत्र २२ मार्च १७८८

"बारह हजार से अधिक, हिन्दुओं को इस्लाम से सम्मानित किया गया (धर्मान्तरित किया गया)। इनमें अनेकों नम्बूदिरी थे। इस उपलब्धि का हिन्दुओं के मध्य व्यापक प्रचार किया जाए। स्थानीय हिन्दुओं के आपके पास लाया जाए, और उन्हें इस्लाम में धर्मान्तरित किया जाए। किसी भी नम्बूदिरी को छोड़ा न जाए।

(२) काली के अपने सेना नायक को लिखित पत्र दिनांक १४ दिसम्बर १७८८

"मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन अली के साथ अपने दो अनुयायी भेज रहा हूँ। उनके साथ तुम सभी हिन्दुओं को बन्दी बना लेना और वध कर देना...."। मेरा आदेश है कि बीस वर्ष से कम उम्र वालों को काराग्रह में रख लेना और शेष में से पाँच हजार का पेड़ पर लटकाकर वध कर देना।

(३) बदरुज़ समाँ खान को लिखित पत्र (दिनांक १६ जनवरी १७६०)

"क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है निकट समय में मैंने मलाबार में एक बड़ी विजय प्राप्त की है चार लाख से अधिक हिन्दुओं को मुसलमान बना लिया गया था। मेरा अब अति शीघ्र ही उस पानी रमन नायर की ओर अग्रसर होने का निश्चय है यह विचार कर कि कालान्तर में वह और उसकी प्रजा इस्लाम में धर्मान्तरित कर लिए जाऐंगे, मैंने श्री रंगापटनम वापस जाने का विचार त्याग दिया है।

टीपू ने हिन्दुओं के प्रति यातना के लिए मालाबाद के विभिन्न क्षेत्रों के अपने सेना नायकों को अनेकों पत्र लिखे थे।

"जिले के प्रत्येक हिन्दू का इस्लाम में आदर (धर्मान्तरण) किया जाना चाहिए; उन्हें उनके छिपने के स्थान में खोजा जाना चाहिए; उनके इस्लाम में सर्वव्यापी धर्मान्तरण के लिए सभी मार्ग व युक्तियाँ- सत्य और असत्य, कपट ओर बल-सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

मैसूर के तृतीय युद्ध (१७६२) के पूर्व से लेकर निरन्तर १७६८ तक अफगानिस्तान के शासक, अहमदशाह अब्दाली के प्रपौत्र, जमनशाह के साथ टीपू ने पत्र व्यवहार स्थापित कर लिया था। कबीर कौसर द्वारा लिखित, 'हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान' (पृ. १४१-१४७) में इस पत्र व्यवहार का अनुवाद हुआ है। उस पत्र व्यवहार के कुछ अंश नीचे दिये गये हैं।

टीपू के ज़मन शाह के लिए पत्र

(१) "महामहिम आपको सूचित किया गया होगा कि, मेरी महान अभिलाषा का उद्देश्य जिहार (धर्म युद्ध) है। इस युक्ति का इस भूमि पर परिणाम यह है कि अल्लाह, इस भूमि के मध्य, मूहम्मदीय उपनिवेश के चिह्न की रक्षा करता रहता है, नोआ के आर्क' की भाँति रक्षा करता है और त्यागे हुए अविश्वासियों की बढ़ी हुई भुजाओं को काटता रहता है।"

(२) "टीपू से जमनशाह को, पत्र दिनांक शहबान का सातवाँ १२११ हिजरी (तदनुसार ५ फरवरी १७८६)" ... इन परिस्थितियों में जो, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सूर्य के स्वर्ग के केन्द्र में होने के कारण, सभी को ज्ञात है। मैं विचार करता हूँ कि अल्लाह और उसके पैगम्बर के आदेशों से एक मत हो हमें अपने धर्म के शत्रुओं के विरुद्ध धर्म युद्ध क्रियान्वित करने के लिए, संगठित हो जाना चाहिए।

इस क्षेत्र के पन्थ के अनुयायी, शुक्रवार के दिन एक निश्चित किये हुए स्थान पर सदैव एकत्र होकर इन शब्दों में प्राथना करते हैं। "हे अल्लाह! उन लोगों को, जिन्होंने पन्थ का मार्ग रोक रखा है, कत्ल कर दो। उनके पापों के लिए, उनके निश्चित दण्ड द्वारा उनके शिरों को दण्ड दो।"

मेरा पूरा विश्वास है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने प्रियजनों के हित के लिए उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लेगा और पवित्र उद्देश्य की गुणवत्ता के कारण हमारे सामूहिक प्रयासों को उस उद्देश्य के लिए फलीभूत

कर देगा। और इन शब्दों के, "तेरी (अल्लाह की) सेनायें ही विजयी होगी", तेरे प्रभाव से हम विजयी और सफल होंगे।

टीपू द्वारा हिन्दुओं पर किया गए अत्याचार उसकी निष्पक्ष होने की भली प्रकार से पोल खोलते हैं।

१. डॉ. गंगाधरन जी ब्रिटिश कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लिखते हैं कि जमोरियन राजा के परिवार के सदस्यों को और अनेक नायर हिन्दुओं को टीपू द्वारा जबरदस्ती सुन्नत कर मुसलमान बना दिया गया था और गौ मांस खोने के लिए मजबूर भी किया गया था।

२. ब्रिटिश कमीशन रिपोर्ट के अधार पर टीपू सुल्तान के मालाबाद हमलों १७८३-१७९१के समय करीब ३०००० हिन्दू नम्बूरी मालाबार में अपनी सारी धन दौलत और घर-बार छोड़कर त्रावनकोर राज्य में आकर बए गए थे।

३. इलान्कुलम कुंजन पिल्लई लिखते हैं कि टीपू सुल्तान के मालाबार आक्रमण के समय कोझीकोड में ७००० ब्राह्मणों के घर थे जिसमें से २००० को टीपू ने नष्ट कर दिया था और टीपू के अतयाचार से लोग अपने अपने घरों को छोड़ कर जंगलों में भाग गए थे। अीपू ने औरतों और बच्चों तक को नहीं बक्शा था। जबरन धर्म परिवर्तन के कारण मापला मुसलमानों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई जबकि हिन्दू जनसंख्या न्यून हो गई।

४. राजा वर्मा केरल में संस्कृत साहित्य का इतिहास में मंदिरों के टूटने का अत्यंत वीभत्स विवरण करते हुए लिखते हैं कि हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर व पशुओं के सर काटकर मंदिरों को अपवित्र किया जाता था।

५. बिदुर, उत्तर कर्नाटक का शासक अयाज़ खान था जो पूर्व में कामरान नाम्बियार था, उसे हैदर अली नं इस्लाम में दीक्षित कर मुसलमान बनाया था। टीपू सुल्तान अयाज़ खान को शुरू से पसंद नहीं करता था इसलिए उसने अयाज़ पर हमला करने का मन बना लिया। जब अयाज़ खान को इसका पता चला तो वह बम्बई भाग गया, टीपू बिदनुर आया और वहाँ की सारी जनता को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। जो न बदले उन पर भयानक अत्याचार किये गए थे। कु पर टीपू साक्षात् राक्षस बन कर टूटा थ। वह करीब १०००० हिन्दुओं को इस्लाम में जबरदस्ती परिवर्तित किया गया। कुर्ग के करीब १००० हिन्दुओं को पकड़ करश्री रंगपटनम के किले में बंद कर दिया गया जिन पर इस्लाम कबूल करने के लिए अत्याचार किया गया बाद में अंग्रेजों ने जब टीपू को मार डाला तब जाकर वे जेल से छुटे और फिर से हिन्दू बन गए। कुर्ग राज परिवार की एक कन्या को टीपू ने जबरन मुसलमान बना कर निकाह तक कर लिया था।

६. मुस्लिम इतिहासकार पि. सं. सैयद मुहम्मद केरला मुस्लिम चरित्रम् में लिखते हैं कि टीपू का केरल पर आक्रमण हमें भारत पर आक्रमण करने वाले चंगेज खान और तिमूर लंग की याद दिलाता है।

इस लेख में टीपू के अत्याचारों अत्यंत संक्षेप में विवरण दिया गया है।

भ्रन्ति ६. टीपू सुल्तान देश भक्त था। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर वीरगति प्राप्त की थी।

निवारण- सर्वप्रथम तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने सर्वप्रथम तो मैसूर के वाडियार राजा को हटाकर अपनी सत्ता ग्रहण करी थी। इसलिए मैसूर को टीपू सुल्तान का राज्य कहना गलत है। दूसरे टीपू का सपना दक्षिण का औरंगजेब बनने का था। टीपू पादशाह बनना चाहता था। उसका स्वप्न देशवासियों के लिए उन्नत देश का निर्माण करने का नहीं अपितु दक्षिण भारत को दारुल इस्लाम में बदलना था। मालाबार जैसे सुन्दर प्रदेश का टीपू ने जिस प्रकार विनाश किया। उसे पढ़ कर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति कह सकताहै वह एक देशभक्त नहीं अपितु एक दुर्दांत, मतान्ध, कट्टर अत्याचारी का लक्ष्ण है।

❑❑

भारतवर्ष की बदहाली के मूल कारण

(कृष्ण चन्द्र गर्ग)

१. न्याय व्यवस्था - देश में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार के लिए हमारी न्याय व्यवस्था विशेष रूप से जिम्मेदार है। अपराधी को जो दण्ड चार-छः महीनों में मिल जाना चाहिए उसमें पन्द्रह-बीस वर्ष लग जाते हैं। राम रहीम के खिलाफ बलात्कार की शिकायत सन् २००२ में की गई थी। उसे दण्ड २०१७ में मिला। बीच के पन्द्रह साल में उसने जो अपराध किए उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इस देरी के कारण से लोगों में न्यायालयों का और दण्ड का भय नहीं रहा। माना भी जाता है- Justice delayed is justice denied. अर्थ- यदि न्याय देने में देरी होती है तो वह न्याय नहीं रहता।

इतना ही नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था बहुत महंगी, बहुत पेचीदा और भ्रष्ट हैं हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए लूटने वाले बड़े अपराधी नेताओं को शायद ही कभी सजा होती है और उनकी लूटी हुई सम्पत्ति शायद ही कभी जब्त होती है।ूसरी तरफ- गरीब आदमी को छोटे से अपराध में ही लम्बे समय तक जेल में रहना पड़ता हैं बहुत से गरीब लोग तो जमानत के अभाव में बिना अपराध ही जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं। देश के नागरिकों के खिलाफ यह बड़ा अपराध है जो सरकारी तन्त्र के द्वारा किया जात है।

एक और बड़ी विडम्बना - नीचे की अदालत कोई फैसला देती है और ऊपरी अदालत उस फैसले को पलट देती है। तो नीचे की अदालत को गलत फैसला देने की सजा क्या है, शायद कोई नहीं। न्यायाधीश अपने फैसलों के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं?

२. जनसंख्या वृद्धि- देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस कारण से कोई भी आर्थिक सुधार सफल नहीं हो पा रहा। देश में जमीन तथा अन्य साधन सीमित हैं। बढ़ती आबादी में जरूरत की वस्तुएं सभी को उपलब्ध करवाना सम्भव न होगा। अब भी देश में बीस करोड़ लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता, वे भूखे पेट सोते हैं। इससे भी अधिक लोग मकानों के अभाव में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं अतः जनसंख्या पर नियन्त्रण करने की परम आवश्यकता है।

जनसंख्या वृद्धि के दो कारण हैं- (एक) शिक्षा का अभाव। सांख्यिकी (Statistics) के हिसाब से जो लोग जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे उतने ही कम है और जो लोग कम पढ़ हैं या अनपढ़ है उनके बच्चे ज्यादा हैं खेद है कि स्वतन्त्र भारत की सरकारों ने ७० वर्षो में देश को शिक्षित करने का कोइ गंभीर प्रयास नहीं किया। दूसरा कारण- मुसलमान मानते हैं कि उनके मजहब में परिवार नियोजन को न मानेने का एक और बड़ा कारण यह है कि वे मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ाना चाहते हैं जिससे सारे संसार में इस्लाम का और शरीया का शासन लाया जा सके। ाारत सरकारें इस विषय पर मौन हैं। सरकारों का इस विषय पर मौन रहना देश के लिए घातक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश हित में जनसंख्या नियन्तत्रण पर दृढ़ता से अमल करवाए।

३. आरक्षण- हमारे देश की आरक्षण की व्यवस्था न न्यासंगत है और न ही राष्ट्रहित में है। यह सरकारों की अयोग्यताओं और विफलताओं के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास मात्र है। कुछ थोड़े से लोगों को सरकारी सुख-सुविधाएं दे देना, और शेष बहुत से योग्य व्यक्तियों को उनके हाल पर छोड़ देना- यह जनता में फूट डालकर शासन करने की बात तो हा ेसकती है, राष्ट्र निर्माण की कतई नहीं। आराण नीति से योग्यता निरुत्साहित हुई है और अयोग्यता को बढ़ावा मिला हे, देश के नौजवानों में असन्तोष और निराशा पैदा हुई है। इससे देश में द्वेष बढ़ा हे, गुणवत्ता और कार्य कुशलता घटी हे, राष्ट्र कमजोर हुआ है।

रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर प्रदान करें।

४. अनेकता में एकता कैसी?- भाषा के आधार पर अलग-अलग प्रान्त, मजहब के आधार पर अलग-अलग कानून, जातपात के आधार पर अलग-अलग सुविधाएं, अल्पसंख्यक/बहुसंख्यक के नाम पर बंटवारा- ये अलग-अलग व्यवस्थाएं देश को जोड़ नहीं रही अपितु तोड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बारम्बार बड़े जोर शोर से कहते हैं कि 'अनेकता में एकता' हमारी बड़ी ताकत है। मुसलमानों का देश के लिए एक से कानून (Uniform CIvil Code) न बनने देना- क्या यह देश की बड़ी ताकत है? आरक्षण पर योगय नौजवानों का आक्रोश- क्या यह देश की बड़ा ताकत है? क्या धारा ३७० देश की बड़ी ताकत है? आदि आदि। व्यक्तिगत विषयों में अनेकता रहती है, परन्तु सार्वजनिक और राष्ट्रीय विषयों में एकता का होना परम आवश्यक है जैसे सड़क पर बाईं ओर वाहन चलाने का कानून सबके लिए एक समान है। क्या गोभक्त और गोघातक में एकता सम्भव है?

५. साम्प्रदायिकता- भारतवर्ष में बड़ा झूम-झूम कर गाया जाता है- 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना' ओर इसका अर्थ लगाया जाता है कि कोई भी मजहब किसी भी दूसरे मजहब से वैर करना नहीं सिखाता। यह बात उतनी ही गलत, झूठी और छलपूर्ण है जितनी कि ज़हर की पूड़िया को संजीवनी बता कर खिला देना। इतहास गाह है कि संसार में जितनी मार-काट, लूट-पाट, अत्याचार विभिन्न मजहबों के कारण हुए हैं और हो रहे हैं उतने और किसी ीाी कारण से नहीं हुए। अलग मजहब के कारण ही सन १९३९ से १९४५ के बीच जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने साठ लाख यहूदियों को मौत के घाट उतरवा दिया था। विभिन्न मजहबों के कारण ही सन् १९४७ में भारत विभाजन के समय छः लाख निर्दोष लोग मारे गए थें अलग मजहब के कारण ही स् १९९० में कश्मीर से चार लाख हिन्दुओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। अलग मजहब के कारण ही सन् १९७८ से १९९५ क बीच पंजाब में हिन्दुओं को बसों से, गाड़ियों से और घरों से निकालकर गोलियों का निशाना बनाया गयाथा तथा बड़ी संख्या में हिन्दुओं को पंजाब छोड़ना पड़ा था। अलग मजहब के कारण ही पाकिस्तान में हिन्दू १५ प्रतिशत से घटकर २ प्रतिशत ही रह गए हैं और बंगलादेश में हिन्दू ३० प्रतिशत से घट कर ८ प्रतिशत रह गए हैं। फिर भी सच्चाई से मुँह मोड़ लेना ऐसे है जैसे बिस्सी को देखके कबूतर आँखे मीच ले और सोच ले कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी।

६. **सर्वधर्म समभाव-** अर्थात् सभी मजहबों के प्रति एक जैसी भावना रखो। यह एक गलत उपदेश है। एक मुसलमान हिन्दुमत के प्रति इस्लाम जैसी भावना कैसे रख सकता है। वह तो हिनदू को काफिर मानता है और काफिर के प्रति उनके मजहब में दो ही विकल्प है- उसे मुसलमान बना लेना या उसका कत्ल कर देना। एक गोभक्त गोघातक के प्रति सद्भावना कैसे रख सकता है। इसलिए यह एक कपटपूर्ण कसरत है जिसे सिर्फ हिन्दू ही करते हैं। दुनिया में और किसी मजहब का आदमी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करता।

७. **रिश्वत सम्बन्धी कानून-** देश में रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध माने जाते हैं। इसी व्यवस्था के कारण लगभग हर छोटे बड़े दफ्तर में रिश्वत के बिना कोई आगे नहीं सरकती और लोगों का कोई काम नहीं किया जाता। आम लोगों को दफ्तरों से जो काम पड़ते हैं वे जायज़ ही होते हैं। नाजायज़ काम तो शायद ही कभी किसी का हो। इसलिए रिश्वत कोई भी देना नहीं चाहता। पर दफ्तर के मुलाजिमों द्वारा लोगों को नाजायज़ तंग किया जाता है, फालतू के चक्कर कटवाए जाते हैं और रिश्वत की मांग की जाती है। लोगों को बेबस होकर रिश्वत देनी पड़ती है।

यदि सरकार सचमुच रिश्वत का धंधा समाप्त करना चाहती है और लोगों का जीवन सरल बनाना चाहती है तो उसे कानून को बदलना होगा। कानून में रिश्वत लेना अपराध हो, देना नहीं।

८. **नौकरी की सुरक्षा (Security of Service)-** इस व्यवस्था के चलते किसी भी सरकारी नौकर को नौकरी से हटाना बेहद कठिन काम है। इस कारण से ही सरकारी नौकर जनता की परवाह नहीं करते, काम भी अपनी मर्जी से करते हैं या नहीं करते, जनता को तंग करके उनसे घूस लेते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी पाने के लिए मोटी-मोटी धन राशियां रिश्वत के तौर पर दी और ली जाती हैं। अतः यह व्यवस्था भ्रष्टाचार

उत्पादक है, अकुशलता को बढ़ावा देने वाली है और जनता विरोधी है।

इसी कारण से सरकारी दफ्तरों में काम के लिए लोगों को एड्हाक अर्थात् कच्चे तौर पर रखती है। ऐसे मुलाजिमों से काम अधिक लेती है, तनख्वाह पक्के मुलाजमों के मुकाबले बहुत कम देती है और जब चाहे उन्हें निकाल सकती है। यह अन्याय और दुर्व्यवस्था है। इसकी जड़ में भी नौकरी की सुरक्षा ही है।

९. **सरकारी अफसरों के पास अधिकार-** सरकारी अफसरों के पास बहुत अधिक अधिकार है। जनता के सही काम को गलत और गलत को सही ठहराना उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। ऐसे अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे जज जितना मर्जी गलत फैसला दे दे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। राष्ट्र के पतन का यह एक बड़ा कारण है। इस प्रकार से मार जनता पर ही पड़ती है।

१०. **सरकारी मुलाजिमों का निलम्बन (Suspension)-** घोटाले आदि के आरोप में सरकारी मुलाजिम को निलम्बित (Suspend) कर दिया जाता है। फिर सारी सरकारी मशीनरी उसे बचाने में लग जाती है। कुछ समय एन्क्वारी का ड्रामा कर उसे नौकरी पर फिर बहाल कर दिया जाता है। किसी बिरले को ही सजा दी जाती है। यह नाटक भी खूब चल रहा है देश में।

११. **सरकारी अफसरों की बदलियां-** सरकारी अफसरों को सरकार अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। यह एक बड़ा भ्रष्टाचार और घोटालों का धन्धा है। एक सरकारी अफसर नेएक स्थान पर गलत काम किए, उसकी किसी दूसरे स्थान पर बदली कर दी जाती है। यह सजा नहीं, इनाम है क्योंकि नए स्थान पर वह स्वच्छ (Clean) माना जाता है। दूसरी बात- कुछ अफसर अपनी बदली करवाने के लिए या बदली रुकवाने के लिए रिश्वत देते हैं कुछ बदलियां तो की ही इसलिए जाती हैं कि अफसर अपनी बदली रुकवाने के लिए रिश्वत देंगे। वाह री मेरी सरकार की व्यवस्था!

१२. **शासकों को सुविधाएं-** देश में विधायकों, सांसदों, मन्त्रियों और अफसरों को सरकार की तरफ से तनख्वाह, कार, कोठी, नौकर, ड्राईवर तथा यात्रा, चिकित्सा भत्ते आदि सुविधाएं इतनी अधिक दी जाती है कि अपने आपको आम जनता से बहुत अलग तथा ऊपर मानने लगते हैं। यह प्रजातन्त्र के नाम पर लूटतंत्र है और जनता से छल है। वास्तविक प्रजातन्त्र मं विधायक, सांसद, मन्त्री, अफसर आदि जनता के सेवत होते हैं, मालिक नहीं।

१३. **हमारी आयकर प्रणाली-** यह विषमता को बढ़ाने वाली और अमीरों के पक्ष में है। इसका कारण है- एक अमीर परिवार में पति, पत्नी और तीन नाबालिक अविवाहित बच्चे है। वह परिवार प्रत्येक सदस्य के नाम पर व्यवसाय आदि दिखाकर लगभग ३००००० × ५ = १५००००० रुपए सालाना आय करने पर भी आयकर से मुक्त है। दूसरी तरफ उतने ही सदस्यों का एक साधारण परिवार है जिसमें केवल परिवार का मुखिया ही काम करता है और साल में ४००००० रुपए कमाता है। उसे ३००००० से ऊपर की आय पर आयकर देना होता है। इस दुर्व्यवस्था का ठीक करने के लिए पति, पत्नी और नाबालिक अविवाहित बच्चों की (सबकी) आय को इकट्ठा (club) करके उस पर आयकर लगना चाहिए।

१४. **कर्ज न लौटाने वाले और आत्महत्या करने वाले किसानों को इनाम-** राजनैतिक दलों में होड़ लगी है वोट के लिए किसानों के कर्ज माफ करने की। इसका अर्थ है कि जिन किसानों ने बैंक आदि से कर्ज तो लिया पर लौटाया नहीं, सरकार उनके कर्ज सरकारी खजाने से भरती है। इससे एक बात तो यह है कि यह ईमानदार करदाताओं के धन का दुरुपयोग है और उनकी राष्ट्रभक्ति को निरुत्साहित करना है। दूसरा- जिस किसानों ने कर्ज तो लिए पर लौटाकर अपना फर्ज पूरा नहीं किया उन्हें इस बात का इनाम मिला। तीसरे- जिन किसानों अपने कर्ज स्वयं पहले ही लौटा दिए वे अपने आप को ठगा-ठगा महसूस करते हैं और आगे के लिए समझ लेते हैं कि कर्ज तो लो पर लौटाओ नहीं।

और भी, जो किसान अपने ऊपर कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेता है, हमारी सरकारें उसके परिवार वालों की आर्थिक सहायता करती है। क्या सरकारों का यह कदम आत्महत्या करने का इनाम और आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाला नहीं है? ये दोनों कदम

अन्यायपूर्ण तथा गलत मानसिकता पैदा करने वाले हैं।

सरकार को अगर किसानों की सहायता करनी है तो उसे किसानों के जीते जी करनी चाहिए, वह भी कर्ज माफी के रूप में नहीं, अपितु उन्हें सक्षम बनाकर।

१५. **आत्म हत्या का दोषी कौन?-** आत्महत्या करने वाला व्यक्ति (A) लिखकर रख जाता है कि व्यक्ति (B) ने उसे तंग किया, इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। सरकार उस व्यक्ति (B) को उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के दोष में पकड़कर दण्डित करती हैं क्या अजीब न्याय है? दोषी तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है और दण्ड दूसरे को दिया जाता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जीते जी उस व्यक्ति (B) की शिकायत करे, अगर सरकार शिकायत का निवारण न करे तो सरकार दोषी। परन्तु व्यक्ति (A) की आत्महत्या के लिए व्यक्ति (B) तो कतई दोषी नहीं है।

१६. **हमारा संविधान-** बेहद बड़ा है, सम्भवतः संसार में किसी भी दूसरे देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है। यह जितना अधिक बड़ा है उतना ही अधिक अस्पष्ट भी है। यह देश को जोड़ने वाला नहीं है, तोड़ने वाला है। यह भ्रष्टाचार को जन्म देता है और पालता है। राजनयिक लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी मर्जी से इसमे परिवर्तन कर लेते हैं। अब तक इसमें एक सौ के लगभग संशोधन (परिवर्तन) हो चुके हैं। फिर भी यह राष्ट्र का निर्माण करने में पूरी तरह असफल रहा है। संविधान छोटा, स्पष्ट, देश को जोड़ने वाला, भ्रष्टाचार निरोधक और राष्ट्र का श्रेष्ठ निर्माण करने वाला होना चाहिए।

१७. **हस्ताक्षर करने का ढंग-** हमारे देश में किसी भी दस्तावेज (Document) पर हस्ताक्षर करने का तरीका बड़ा बेढंगा है। उसे कोई पढ़ नहीं सकता। जान नहीं सकता कि हस्ताक्षर किस नाम के व्यक्ति ने किए हैं। यह प्रथा लोगों को अन्धेरे में रखकर धोखा देने की है। अतः दस्तावेज पर हस्ताक्षर के नाम पर व्यक्ति अपना नाम स्पष्ट तौर पर लिखे, यही उचित होगा।

१८. **देश के कानून-** उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड में विलियम ग्लैडस्टन नाम के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने लिखा है- It is the duty of the goverment to make it difficult for people to do wrong, easy to do right. .... Good laws make it easy to do right and hard to do wrong. अर्थ- यह सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए गलत काम करना कठिन और सही काम करना आसान बनाए। .... अच्छे कानून सही काम करना आसान बनाते हैं और गलत काम करना कठिन परन्तु भारत में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है।

१९. **कुरान और इस्लाम-** कुरान मुसलमानों का पवित्रतम ग्रन्थ है। कुरान की हर बात को मानना मुसलमानों के लिए अनिवार्य है और कुरान में लिखी किसी बात पर भी शक करना इस्लाम में अपराध है। कुरान में हर गैर-मुसलमान को काफिर कहा गया है और काफिर को प्रताड़ित करना, मौत का डर दिखाकर उसे मुसलमान बनाना, उसे जान से मार देना, उसकी लड़कियों और स्त्रियों से बलात्कार करना, उसकी सम्पत्ति को जलाना-लूटना- ये सब काम हर मुसलमान के लिए कर्तव्य बताए गए हैं। गैर मुसलमान को अपने हाथ से मारने वाला मुसलमान सबसे बड़ी पदवी 'गाज़ी' की पाता है। गैर-मुसलमानों पर सब प्रकार से अत्याचार करने का नाम जेहाद है और जेहाद इस्लाम में सबसे अधिक पवित्र काम माना गया है।

और भी- मुसलमान राष्ट्रहित के कामों में रुकावट डालते हैं और होने नहीं देते। देश में एक समान कानून नहीं बनने देते, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं लगाने देते, गोहत्या पर पाबन्दी लगाने के विरोधी हैं, देशहित में अपने मुर्दे जलाने को तैयार नहीं, राष्ट्रगान 'वन्दे मातरम्' गाने में उन्हें आपत्ति है। मुस्लिम महिलाओं के लिए समता का कानून भी वे नहीं चाहते। उन्हें दबी कुचली ही रखना चाहते हैं। मदरसों में मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं जो उन्हें दूसरे मजहब वालों से नफरत करना सिखाती है। मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के दौरान मुसलमानों को गैर मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जाता है। कुरान या मुहम्मद के खिलाफ कोई कुछ बोल दे या लिख दे उसके खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया जाता है। क्या यह स्थिति राष्ट्रहित में है?

❑❑

जड़ पूजा का रोग

(पं. नन्दलाल निर्भय, सिद्धान्ताचार्य पत्रकार, पलवल)

आर्यावर्त्त को लग गया, जड़ पूजा का रोग।
नर-नारी इस रोग का, भोग रहे हैं भोग।।
भोग रहे हैं भोग, समझते नहीं अनाड़ी।
पक्के हैं नादान, देश की दशा बिगाड़ी।।
अगर रहा यह हाल, देश यह मिट जाएगा।
हमको फिर ना समझ, सकल जग बतलाएगा।।

कावंरियों का हो गया, भारत में अब जोर।
कावर लेकर आ रहे, जालिम डाकू‘चोर।।
जालिम डाकू-चो, लफंगे नीच शराबी।
मचा रहे उत्पात, कुकर्मी दुष्ट कबाबी।।
दया-धर्म को त्याग, पाप को पनपाते हैं।
बनते हैं शिव भकत, तनिक ना शर्माते हैं।।

शिव ईश्वर का नाम है, गुण वाचक लो जान।
आर्यजनों का शिव सदा, करता है कलयाण।।
करता है कल्याण, सकत ऐश्वर्य दाता।
देवों का है देव, जगत का है निर्माता।।
कर्मों का फल यथा-योग्य, देना है स्वामी।
पालन करता वही, मात-पितु गुरु है नामी।।

सभी जगह मौजूद है, निराकार जगदीश।
ओ३म् नाम प्रभु का बड़ा, मानो बिसवे बीस।।
मानो बिसवे बीस, रात-दिन करो भलाई।
वैदिक धर्मी बनो, मार्ग है यह सुखदाई।।
मूर्ति में है जगदीश, मूर्ति में जीव नहीं है।
“न तस्य प्रतिमास्ति”, वेद का वचन सही है।।

जागो! भोले साथियों, बुद्धि से लो काम।
जुटो वेद प्रचार में, करदो जग में नाम।।
करदो जग में नाम, समय मत व्यर्थ गंवाओ।
मानव तन अनमोल, बावलो लाभ उठाओ।।
परोपकारी शीलवन्त, गुणवान बनो तुम।
“नन्दलाल” भारत माता की शान बनो तुम।।

❑❑

पृष्ठ २ का शेष
विघ्न और बाधाओं से वे, कभी घबराते थे।
जो लेते थे ठान बहादुर, पूरा कर दिखलाते थे।।
देशवासियों! होश करो तुम काम धर्म के आओ तुम।
स्वामी श्रद्धानन्द तपस्वती, नेता के गुण गाओ तुम।।
स्वामी जी ने मोहनदास गाँधी पर पूरा प्यार किया।
कांगड़ी गुरुकुल के उत्सव पर, उसे महात्मा नाम दिया।।
मोहन दास गाँधी ने उनका, सब ऐहसान भुलाया था।
शुद्धी गलत बताई थी, दुष्टों का साथ निभाया था।।
"नन्दलाल" निर्भय शुद्धि का, फिर से चक्र चलाओ तुम।
स्वामी श्रद्धानन्द तपस्वती, नेता के गुण गाओ तुम।।

ओ३म्

(स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, मेरठ)

पाञ्चजन्य घोष हृषीकेश फिर से गुंजाओ।
माँ भारती को कौरवों से मुक्त कराओ, ये केश-वेश द्रौपदी के पुनः खुल गये।
वध कराकर दुःशासन का इसे फिर से बंधाओ।। १।।
वंशीधर अब वंशी बजाने का समय नहीं, संग ग्वाल बालों के यहाँ खेल का नहीं।
चक्रधारी अब तो सुदर्शन चक्र उठाओ।। २।।
शकुनि के कपट पाश निशङ्क पड़ रहे, अति हर्ष में दुर्योधन कर्ण खूब हंस रहे।
उस दुष्ट का वध शीघ्र सहदेव से कराओ।। ३।।
कर्ण की कुमंत्रणा की अब बेल फैल रही, सन्मंत्रणा विकर्ण विदुर की नहीं रही।
कह पार्थ को अब तो उसका शिरश्छेद कराओ।। ४।।
गोहरण जैसे कृत्य में संग भीष्म द्रोण हैं, दुर्योधन जैसे दुष्ट के ये दास बने हैं।
इस पापमयी भावना से मुक्त कराओ।। ५।।
दुर्योधन अन्धपुत्र अब मदान्ध हो गया, उरु सगर्व खोल वह बेइलाज हो गया।
कह करके भीम से अब उसकी जांघ तुड़ाओ।। ६।।
काल यवन जरासंध का आतंक बढ़ा है, कीचक और जयद्रथ का उत्साह चढ़ा है।
नाश करके उन सभी का यह राष्ट्र बचाओ।। ७।।
धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, युद्धक्षेत्र हो गया। बन करके पार्थ सारथी अब उसे बचाओ।।
गीता का गान करके धनञ्जय को जगाया। स्व-कर्म पालने का उसे पाठ पढ़ाया।।
अब राष्ट्र धञ्जयों को वह पाठ सुनाओ। पाञ्चजन्य घोष हृषीकेश फिर से गुंजाओ।

आर./आर. नं० १६३३०/६७
Post in Delhi R.M.S
०५-११/०१/२०१८
भार- ४० ग्राम

जनवरी 2018

रजिस्टर्ड नं० DL (DG -11)/8029/2015-17
लाईसेन्स नं० यू (डी०एन०) १४४/२०१५-१७
Licenced to post without prepayment
Licence No. U (DN) 144/2015-17

पाठकों से निवेदन

१. अपने पत्रों में अपनी ग्राहक संख्या अवश्य ही लिखा करें, अन्यथा कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।
२. १५ तारीख तक प्रतीक्षा करके ही दुबारा अंक मँगाएं, यदि अंक न पहुँचा हो।
३. यदि आप अपना पता बदलवायें तो यह ध्यान रखें कि बदले हुए पते पर अंक-प्रेषण एक माह बाद आरम्भ होगा।
४. अंक के रेपर पर अपना पता चैक कर लिया करें। यदि कोई त्रुटि हो, तो सूचना दे दिया करें।
५. जिन ग्राहकों का शुल्क समाप्त है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

दिनेश कुमार शास्त्री
कार्यालय व्यवस्थापक
मो०-९६५०५२२७७८

ओ३म्

भारत में फैले सम्प्रदायों की निष्पक्ष व तार्किक समीक्षा के लिए उत्तम कागज़, मनमोहक जिल्द, सुन्दर आकर्षक छपाई एवं (द्वितीय संस्करण से मिलान कर शुद्ध प्रामाणिक संस्करण)

सत्य के प्रचारार्थ

सत्यार्थ प्रकाश

सत्य के प्रचारार्थ

● प्रचार संस्करण (अजिल्द) 23×36÷16	मुद्रित मूल्य 50 रु.	प्रचारार्थ 30 रु.	प्रचारार्थ मूल्य पर कोई कमीशन नहीं
● विशेष संस्करण (सजिल्द) 23×36÷16	मुद्रित मूल्य 80 रु.	प्रचारार्थ 50 रु.	
● स्थूलाक्षर सजिल्द 20×30÷8	मुद्रित मूल्य 150 रु.		प्रत्येक प्रति पर 20% कमीशन

10 या 10 से अधिक प्रतियाँ लेने पर विशेष अतिरिक्त कमीशन

कृपया, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें और महर्षि दयानन्द की अनुपम कृति सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार प्रसार में सहभागी बनें

आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट
427, मन्दिर वाली गली, खारी बावली, दिल्ली-6
Ph. :011-43781191, 09650622778
E-mail : aspt.india@gmail.com

छपी पुस्तक/पत्रिका

श्री सेवा में.........................
ग्राम.........................
डा0 ....
जिला.........................

मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक धर्मपाल आर्य, स्वामित्व आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, ४२७, गली मन्दिर वाली, नया बांस, खारी बावली, दिल्ली-११०००६ से प्रकाशित एवं तिलक प्रिंटिंग प्रेस, २०४६, बाजार सीता राम, दिल्ली-११०००६ से मुद्रित।